रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1994/भाद्र 19, 1916
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1994/BHADRA 19, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1994

का. आ. 2174.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री खलील एस. शेख एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे वीराड़, सोपाड़ा—वसाई क्षेत्र (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[स. 5(94)/94-न्यायिक]
पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)
(Judicial Section)
NOTICE

New Delhi, the 29th July, 1994

S.O. 2174.—Notice is hereby given by the Competent Authority in persuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of he said Rules, by Sh. Khalil S. Shaikh Advocate for appointment as a Notary to practise in Virar Sopara-Vasai Region in the state of Maharashtra.

2. Any obection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned with for appointment as a Notary to practice in Virar Sopara-Vasai Region in the State of Maharashtra.

[F. No. 5(94)/94 Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1994

का. आ. 2175 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री देवयानी एस. शाह, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे महाराष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(97)/94-न्यायिक]
पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th July, 1994

S.O. 2175.—Notice is hereby given by the Competent Authority in persuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Miss Devyani S. Shah, Advocate for appointment as a Notary to practice in Maharashtra.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this noice.

[F. No. 5(97)/94 Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1994

का. आ. 2176 .—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रणोय रंजन चौधरी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे डालहौजी स्क्वेयर, माणिकटोला और साल्ट लेक (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(96)/94—न्यायिक]
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th July, 1994

S.O. 2176.—Notice is hereby given by the Competent Authority in persuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Pranoy Ranjan Chaudhuri Advocate for appointment as a Notary to practice in Dahousie, Square Manick Tola Salt. Lake (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(96)/94 Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1994

का. आ. 2177 .—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सी. जे. सुन्दर दास एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मट्रोपोलिटान सिटी (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(95)/94-न्यायिक]
पी. सी. कण्णम्, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th July, 1994

S.O. 2177.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. C. J. Sundar Das, Advocate for appointment as a Notary to practice in Metropolitan City (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(95)|94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority.

सूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1994

का. आ. 2178 .—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री आदित्य बैनेरजी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पूर्लिया (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(93)/94—न्यायिक]
पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 29th July, 1994

S.O. 2178.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Aditya Banerjee, Advocate for appointment as a Notary to practise in Purlia (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[F. No. 5(93)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का. आ. 2179 —नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम अधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बलबीर कुमार सचदेव, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे जिला फिरोजपुर (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिय नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(102)/94-न्यायिक]
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2179.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Balbir Kumar Sachdeva, Advocate for appointment as a Notary to practise in Distt. Ferozepur (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned with a fourteen days of the publication of this Notice.

[F. No. 5(102)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2180 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जगदीश चन्द्र बाथला, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जायें।

[सं. 5(106)/94—न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2180.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Jagdish Chander Bathla, Advocate for appointment as a Notary to practise in NCT of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(106)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2181 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रंजन डे, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे तूफानगंज सबडिविजन (पश्चिम) बंगाल) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(105)/94—न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2181.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Ranjan De, Advocate for appointment as a Notary to practise in Toofanganj Sub- Division (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(105/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2182 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री तारा सिंह एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसें भरतपुर सिटी, (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिय नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(108)—94 न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2182.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Tara Singh, Advocate for appointment as a Notary to practise in Bharatpur City (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(108)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2183 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री वी लथा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बंगलौर (कर्नाटक) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी की नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(107)/94—न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2183.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Ms. V. Latha, Advocate for appointment as a Notary to practise in Bangalore (Karnataka).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned with in fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(107)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2184—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री अर्चना शर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे मयूर विहार, राष्ट्रीय राजधानी में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(99)/94—न्यायिक)]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2184.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Miss Archana Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Mayur Vihar, NCT of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(99)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2185—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अमृत बीर सिंह सोढी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे जिला फिरोजपुर (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(104)/94—न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2185.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Amritbir Singh Sodhi, Advocate for appointment as a Notary to practise in Distt. Ferozepur (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(104)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2186—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री महेन्द्र सिंह एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे कथूमर जिला अलवर (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(101)/94—न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2186.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Mahender Singh Advocate for appointment as a Notary to practise in Kathoonar, Distt. Alwar (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(101)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2187—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्रीमती शोभना शेषमल कर्नावट एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(98)/94—न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2187.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Smt. Shobhana Sheshmal Karnawat, Advocate for appointment as a Notary to practise in Kolhapur (Maharashtra).

2. Any objection to the application of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(98)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2188 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मोहम्मद इकबाल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बहराईच (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाय।

[सं. 5(100)/-94-न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2188.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Mohd. Iqbal, Advocate for appointment as a Notary to practise in Baharaich (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(100)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1994

का.आ. 2189 नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है है कि श्री रविन्द्र कृष्ण शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे मेरठ (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(103)/94-न्यायिक]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 3rd August, 1994

S.O. 2189.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Ravinder Krishan Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Meerut (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[F. No. 5(103)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

का.आ. 2190.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी.आर. शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कुरूक्षेत्र (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(103)/91-न्या.]
पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 8th August, 1994

S.O. 2190.—Notice is hereby given by the Competent Authority in purcuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri B. R. Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Kurukshetra (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(103)/91-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त 1994

का.आ. 2191.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सुरेश कुमार मिश्र, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसें पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) राज्य में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति

पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(58)/93—न्यायिक]
पी सी कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 10th August, 1994

S.. 2191.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Suresh Kumar Misra, Advocate for appointment as a Notary to practise in Pilibhit (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(58)/93-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1994

का.आ. 2192.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री वजीर चन्द जुनेजा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे कुरुक्षेत्र एवं यमुना नगर (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(123)/91—न्या.]
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 10th August, 1994

S.O. 2192.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shri Wazir Chand Juneja, Advocate for appointment as a Notary to practise in Kurukshetra and Yamunanagar, (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(123)/91-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1994

(आयकर)

का.आ. 2193.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा टी.वी.एस. चेरिटीज, मदुरै को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9566/फा.सं 197/40/94—आयकर नि.-1]
केशव देव, उप सचिव

Ministry of Finance

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th July, 1994

(INCOME-TAX)

S.O. 2193.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (V) of clause (23-C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies T.V.S. Charities, Madurai for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application wholly or exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 :

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in repect of such business.

[Notification No. 9566/F. No. 197/40/94-ITA(I)]
KESHAV DEV, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1994

(आयकर)

का. आ. 2194.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23—ग) के उपखंड V द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रामकृष्ण शारदा मिशन, कलकत्ता को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग, अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9567/फा.सं. 179/88/92-आयकर नि.-1]

केशव देव, उप सचिव

New Delhi, the 7th July, 1994

(INCOME-TAX)

S.O. 2194.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (V) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Ramakrishna Sharda Mission, Calcutta for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee separte books of accounts are maintained in repect of such business.

[Notification No. 9567/F. No. 197/88/92-ITAI]

KESHAV DEV, Dy. Secy.

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

कलकत्ता, 26 जुलाई, 1994

का. आ. 2195.—स. 3 : मुख्य आयकर आयुक्त, कलकत्ता द्वारा पारित अधिसूचना स. 13/93-94 दिनांक 4-2-94, मुख्य आयकर आयुक्त-II कलकत्ता द्वारा पारित 8/93-94 दिनांक 25-08-93 मुख्य आयकर आयुक्त-III द्वारा पारित 5/93-94 दिनांक 11-8-1993 तथा 9/93-94 दिनांक 2-9-93 तथा मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त II तथा मुख्य आयकर आयुक्त-III, कलकत्ता द्वारा पारित सभी पूर्वतन आदेशों व अधिसूचनाओं का आंशिक आशोधन करते हुए, तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. 9565 एफ सं. 279/129/93 आई टी जे (खण्ड (ii) दिनांक 5-7-94 तथा एस ओ सं. 504 दिनांक 5-7-94 द्वारा हमे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस दिशा में सुलभ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस दिशा में जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण के पूर्व ऐसे मामले जो निपटाये गये हैं या निपटाने से छूटे हुये हैं, को छोड़कर, हम, मुख्य आयकर आयुक्त, कलकत्ता, मुख्य आयकर आयुक्त II, कलकत्ता, मुख्य आयकर आयुक्त III कलकत्ता, एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, (अपील) ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कृत्यों का पालन करेंगे जिनके आयकर या धनकर अथवा दानकर अथवा अतिकर अथवा ब्याजकर अथवा व्ययकर अथवा सम्पदा शुल्क का निर्धारण स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों/निर्धारण अधिकारियों के द्वारा हो और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (ए) से (एच) में, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 23 की उपधारा (1ए) के खण्ड (ए) से (ई) में दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 22 की उपधारा (1ए) के खण्ड (ए) से (ई) में, कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1984 (1984 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) में, ब्याजकर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में और व्ययकर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) की धारा 22 की उपधारा (1) में और सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 में उल्लिखित किन्हीं आदेशों से असंतुष्ट हो।

2. जहां एक आयकर सर्कल, वार्ड अथवा विशेष रेंज या उनके अंश इस अधिसूचना के अनुसार एक प्रभार से दूसरे प्रभार में स्थानांतरित हो गये हैं, इस अधिसूचना के जारी होने के शीघ्र पहले आयकर आयुक्त (अपील), के समीप उन आयकर वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज अथवा उनके अंश में हुई निर्धारणों से उद्भूत अपील लम्बित है, और इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से उन वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज अथवा उनके अंश से स्थानांतरित किये मामलों का निपटान उस आयकर आयुक्त (अपील) के द्वारा किये जायेंगे जिसके अधीन उक्त वार्ड/सर्कल/विशेष रेंज अथवा उनके अंश स्थानांतरित किये गये हैं।

3. यह अधिसूचना 1-8-94 से लागू होगी।

अनुसूची

आयकर आयुक्तों (अपील) के क्षेत्राधिकार

क्रम सं.	आयकर आयुक्त (अपील) का पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3
मुख्य आयकर आयुक्त : कलकत्ता के नियंत्रणाधीन :		
1.	आयकर आयुक्त (अपील)-1 कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-I, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी ।
		(ख) आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज-II, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशे रेंज-II कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी ।
		(ग) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-22, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-22 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
2.	आयकर आयुक्त (अपील)-6 कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-7, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ख) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-12, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-12 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
3.	आयकर आयुक्त (अपील)-7 कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-10 कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ख) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-8, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-8 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ग) आयकर उपायुक्त रेंज-15, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
		(घ) आयकर निदेशक (आयकर छूट) कलकत्ता के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तथा अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ङ) सहायक आयुक्त (अनुसंधान) (सर्कल-II (1), गुवाहाटी ।
4.	आयकर आयुक्त (अपील-10 कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज-1, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-1 कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ख) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-7 कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-7 कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ग) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज 2, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-2 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
		(घ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-10, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-10, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ङ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-21 कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-21 कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी ।
		(च) आयकर उपायुक्त जलपाईगुड़ी रेंज, जलपाईगुड़ी के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
5.	आयकर आयुक्त (अपील)-12 कलकत्ता ।	(क) आयकर उपायुक्त, रेंज-II कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ख) आयकर उपायुक्त रेंज-20, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
6.	आयकर आयुक्त (अपील)-13 कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-6, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ख) आयकर उपायुक्त, रेंज-21, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी ।
		(ग) आयकर उपायुक्त रेंज-13, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
मुख्य आयकर आयुक्त-II, कलकत्ता के नियंत्रणाधीन : -		
1	आयकर आयुक्त (अपील)-II कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-2, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी ।
		(ख) आयकर उपायुक्त रेंज-17, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
		(ग) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-3, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-3 कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी ।
		(घ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-13, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-13, कि अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।

1	2	3
2	आयकर आयुक्त (अपील)-4, कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-3, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी। (ख) आयकर उपायुक्त रेंज-12, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी। (ग) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-4, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-4 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (घ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-16, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-16 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (च) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-15, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-15 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
3.	आयकर आयुक्त (अपील) 5, कलिकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-8, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी। (ख) आयकर उपायुक्त रेंज-14, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी। (ग) आयकर उपायुक्त रेंज-16, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी। (घ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-9, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-9, के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (च) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-19, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-19 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (छ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-23, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-23, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।
4.	आयकर आयुक्त (अपील)-II कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-14, कल. एवं आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-14 के कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (ख) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-17, कल. आयकर उपायुक्त विशेष रेंज 17, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।

1	2	3.
मुख्य आयकर आयुक्त-III के नियंत्रणाधीन :-		
1.	आयकर आयुक्त (अपील)-III, कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-9, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी। (ख) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-6, कलकत्ता तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-6 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (ग) आयकर उपायुक्त रेंज-18, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी। (घ) आयकर उपायुक्त रेंज-19, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी हुगली, मिदनापुर व हल्दिया समेत।
2.	आयकर आयुक्त (अपील)-8, कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-5, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी।
3.	आयकर आयुक्त (अपील)-9 कलकत्ता	(क) आयकर उपायुक्त रेंज-4, कलकत्ता के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण अधिकारी (ख) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-5, कलकत्ता तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-5, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (ग) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-18, कल. तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-18 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (घ) आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-20, कलकत्ता तथा आयकर उपायुक्त विशेष रेंज-20 के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी। (च) आयकर उपायुक्त आसनसोल रेंज, असानसोल के अधीनस्थ सभी निर्धारण अधिकारी।

[सं. स. आ./मु. आ. क./योजना/30/94-95]

(ए. के. बटब्याल)
मुख्य आयकर आयुक्त-III,
कलकत्ता

(ए. चटर्जी)
मुख्य आयकर आयुक्त-I,
कलकत्ता

(जे. के. करियन)
मुख्य आयकर आयुक्त,
कलकत्ता।

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Calcutta, the 26th July, 1994

S.O. 2195.—In partial modification of all earlier orders in Notifications passed by the Chief Commissioner of Income-tax, Calcutta, Chief Commissioner of Income Tax-II, Calcutta, Chief Commissioner of Income Tax-III, Calcutta, and also in Notification Nos. 13/93-94 dated 4-2-1994, Chief Commissioner of Income-tax, Calcutta, 8/93-94 dated 25-8-1993 Chief Commissioner of Income Tax-II, Calcutta, 5/93-94 dated 11-8-1993, Chief Commissioner of Income Tax-III, Calcutta, and 9/93-94 dated 2-9-1993, Chief Commissioner of Income Tax III, Calcutta and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 120 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) and in exercise of powers conferred on us by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi vide its Notification No. 9565 F. No. 279/129/93-ITJ (PT. II) dated 5-7-1994 and S.O. No. 504 dated 5-7-1994 and all other powers enabling us in this behalf and in supersession of all earlier notifications made in this behalf, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, we, the Chief Commissioner of Income Tax, Calcutta, Chief Commissioner of Income Tax-II, Calcutta and Chief Commissioner of Income Tax-III, Calcutta, hereby direct that the Commissioners of Income Tax (Appeals) of this region specified in column 2 of the schedule attached hereto, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Wealth-tax or Gift-tax or Sur-tax or Interest tax or Expenditure tax or Estate Duty by the Income-tax Authorities/Assessing Officers specified in column 3 thereof as are aggrieved by any orders mentioned in clauses (a) to (c) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961, clauses (a) to (c) of sub-section (1-A) of Section 23 of the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957) clauses (a) to (c) of sub section (1-A) of Section 22 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), sub-section (1) of Section 11 of the Companies (Profit) Sur-tax Act, 1984 (7 of 1984), sub-section (1) of Section 15 of the Interest-tax Act, 1974 (45 of 1974) and sub-section (1) of Section 22 of the Expenditure-tax Act, 1987 (35 of 1987) and Section 62 of the Estate Duty Act, 1953.

2. Where an Income-tax Circle, Ward or Special Range or part thereof stands transferred by this notification from one charge to another, appeals arising out of the assessment made in this Income-tax Ward/Circle/Special Range or part thereof and pending immediately before the date, from which this notification takes effect, before the Commissioner of Income-tax (Appeals) from whose charge that Income-tax Ward/Circle/Special Range or part thereof is transferred shall, from the date from which this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioners of Income-tax (Appeals) to whom the said Ward/Circle/Special Range or part thereof is transferred.

3. This notification takes effect from 1st August, 1994

SCHEDULE

Jurisdiction of the Commissioners of Income-tax (Appeals)

Sl. No.	Designation of Commissioner of Income-tax (Appeals)	Jurisdiction
1	2	3
Under the Control of the Chief Commissioner of Income tax. Calcutta.		
1.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-I, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, R-1, Cal. (b) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-11, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-11, Cal. (c) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-22, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-22 Cal.
2.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-VI, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-7, Calcutta. (b) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-12, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-12, Cal.
3.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-VII, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-10, Calcutta. (b) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-8, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-8, Calcutta. (c) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-15, Calcutta. (d) All Assessing Officers under the Administrative Control and subordinate to the Director of Income-tax (Income-tax Exemption) Calcutta. (e) A.C. (Inv.) Circle -II(1), Gauhati.

1	2	3
4.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-X, Calcutta.	(a) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-1, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-1, Calcutta. (b) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-7, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-7, Cal. (c) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-2, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-2, Calcutta. (d) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-10, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Sepcial Range-10, Calcutta. (e) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-21, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-21, Calcutta. (f) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Jalpaiguri Range, Jalpaiguri.
5.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-XII, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-11, Calcutta. (b) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-20, Calcutta.
6.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-XIII, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-6, Calcutta. (b) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-21, Calcutta. (c) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-13, Calcutta.
Under the Control of the Chief Commissioner of Income Tax-II, Cal.		
1.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-II, Calcutta	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-2, Calcutta. (b) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-17, Calcutta. (c) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-3, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-3, Calcutta. (d) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-13, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-13, Calcutta.
2.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-IV, Calcutta	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range 3, Calcutta. (b) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-12, Calcutta. (c) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-4, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-4, Calcutta. (d) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-16, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-16, Calcutta. (e) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-15, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-15, Calcutta.

1	2	3
	3. Commissioner of Income-tax (Appeals)-V, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-8, Calcutta. (b) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-14, Calcutta. (c) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-16, Calcutta. (d) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-9, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-9, Calcutta. (e) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-19, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-19, Calcutta. (f) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-23, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-23, Calcutta.
	4. Commissioner of Income-tax (Appeals)-XI, Calcutta.	(a) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-14, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-14, Calcutta. (d) Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-17, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Special Range-17, Calcutta.
	Under the Control of the Chief Commissioner Income-tax, III Calcutta.	
	1. Commissioner of Income-tax (Appeals)-III, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-9, Calcutta. (b) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-6, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-6, Calcutta. (c) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-18, Calcutta. (d) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-19, Calcutta, including Hooghly, Midnapore and Haldia.
	2. Commissioner of Income-tax (Appeals)-VIII, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-5, Calcutta.
	3 Commissioner of Income-tax (Appeals)-IX, Calcutta.	(a) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Range-4, Calcutta. (b) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-5, Calcutta, and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-5, Calcutta. (c) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-18, Calcutta and all Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-18, Calcutta. (d) Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-20, Calcutta and All Assessing Officers subordinate to Deputy Commissioner of Income-tax, Spl. Range-20, Calcutta. (e) All Assessing Officers functioning under Deputy Commissioner of Income-tax, Asansol Range, Asansol.

[No. AC/HQ/Planning/30/94-95]

A.K. BATTABYAL
C.C.I.T.-III, Cal.

A. CHATTERJEE
C.C.I.T.-II., Cal.

J.K. KURIYAN
C.C.I.T. Calcutta.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

स्टाम्प

का. आ. 2196.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कि नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बंध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है :

(क) मात्र दो करोड़ छब्बीस लाख रुपये के कुल मूल्य के J 00000001 से J 00022600 तक की विशिष्ट संख्या वाले एक-एक हजार रुपए के 15.5 प्रतिशत कराधेय सुरक्षित विमोच्य बंध-पत्र,

(ख) मात्र एक सौ छब्बीस करोड़ चौबीस लाख रुपए के कुल मूल्य के J 00022601 से J 01285000 तक की विशिष्ट संख्या वाले एक-एक हजार रुपए के 14 प्रतिशत कराधेय सुरक्षित विमोच्य बंधपत्र, और

(ग) मात्र एक सौ करोड़ रुपए के कुल मूल्य के J 01285001 से J 02285000 की विशिष्ट संख्या वाले एक-एक हजार रुपए के 10.5 प्रतिशत करमुक्त सुरक्षित विमोच्य बंध पत्र ।

[सं. 27/94-स्टाम्प—फा सं. 33/44/94-वि. क.]

आत्मा राम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 1994

STAMPS

S.O. 2196.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes—described as—

(a) 15.5% Taxable Secured Redeemable Bonds bearing distinctive numbers J 00000001 to J 00022600 of rupees one thousand each of the total value of rupees two crores twenty six lakhs only.

(b) 14% Taxable Secured Redeemable Bonds Bearing distinctive numbers J 00022601 to J 01285000 of rupees one thousand each of the total value of rupees one hundred twenty six crores twenty four lakhs only ; and

(c) 10.5% Tax-free Secured Redeemable Bonds bearing distinctive numbers J 01285001 to J 02285000 of rupees one thousand each of the total value of rupees one hundred crores only :

to be issued by the National Thermal Power Corporation Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 27/94-Stamps-F. No. 33/44/94-ST]

ATMA RAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

स्टाम्प

का. आ. 1197.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र एक सौ करोड़ रुपए मूल्य के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप में वर्णित बांडों—16-17 प्रतिशत विमोच्य सुरक्षित/असुरक्षित पंचवर्षीय बांडों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 26/94-स्टाम्प—फा.सं. 33/40/94-वि.क.]

आत्मा राम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 1994

STAMPS

S.O. 2197.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes—described as 16-17% Redeemable Secured/Unsecured five years bonds of the value of rupees One hundred crores only to be issued by Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore are chargeable under the said Act.

[No. 26/94-Stamps-F. No. 33/40/94-ST]

ATMA RAM Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

स्टाम्प

का. आ. 2198.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो भारत के लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नोक्त प्रकार के वर्णित प्रोमीजरी नोटों के स्वरूप वाले बांडों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है।

(i) मात्र तीन सौ करोड़ रु. मूल्य के "फ्लोटिंग रेट बांड"; और

(ii) मात्र दो सौ करोड़ रुपये मूल्य की धरोहर का प्रमाण पत्र ।

[सं. 29/94-स्टाम्प—फा.सं. 33/45/94-वि.क.]

आत्मा राम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 1994

STAMPS

S.O. 2198.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Samp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory note described as—

(i) Floating Rate Bonds of the value of rupees three hundred crores only ; and

(ii) Certificate of deposits of the value of rupees two hundred crores only ;

to be issued by the Small Industries Development Bank of India, Bombay are chargeable under the said Act.

[No. 29/94-Stamps-F. No. 33/45/94-ST]
ATMA RAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

स्टाम्प

का.आ. 2199.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो कि विद्युत वित्त निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र दस करोड़ रुपए के मूल्य के ऋण-पत्रों के स्वरूप के बांडों के रूप में वर्णित 13.5 प्रतिशत एसएलआर सरकार द्वारा गारंटित बांडों—2004 (VIवीं शृंखला) पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[फा. सं.-25/94-स्टाम्प-फा. सं.-33/30/94-वि.क.]
आत्मा राम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 1994

STAMPS

S.O. 2199.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Debentures—described as 13.5% SLR Government Guaranted Bonds—2004 (VIth Series) of the value of rupees ten crores only to be issued by Power Finance Corporation Limited, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 25/94-Stamps-F. No. 33/30/94-ST]
ATMA RAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

स्टाम्प

का.आ. 2200.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र एक सौ पचास करोड़ रुपए के मूल्य के 10.5 प्रतिशत कर मुक्त (आर ई सी बंधपत्रों)—2001 के रूप में वर्णित ऋण-पत्रों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है।

[सं. 28/94-स्टाम्प-फा.सं. 33/10/94-बि.क.]
आत्मा राम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 1994

STAMPS

S.O. 2200.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds described as 10.5% Tax Free (REC Bonds)—2001 of the value of rupees one hundred and fifty crores only to be issued by the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 28/94-Stamps-F. No. 33/10/94-ST]
ATMA RAM, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1994

का.आ. 2201.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंध सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 31 मार्च, 1996 तक अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., अजमेर (राजस्थान) पर लागू नहीं होंगे।

[एफ सं 1-1/94-ए सी]
एम.एल. कुकरेजा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

Banking Division

New Delhi, the 18th August, 1994

S.O. 2201.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Aimer Central Co-operative Bank Ltd. Ajmer (Rajasthan) from the date of publication of this notification in the Official Gazette to 31st March 1996.

[F. No. 1(1)/94-AC]
M. L. KUKREJA, Under Secy.

दिल्ली, 18 अगस्त, 1994

का.आ. 2202.— केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्न

लिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

कम्पनी का नाम :

नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि.

1. इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय

[संख्या 13011/1/92-हि.का.क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 1994

S.O. 2202.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India (Under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : National Insurance Co. Ltd.,

1. Indore Regional Office

[No. 13011/1/92-HIC]

SUDHEER KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1994

का.आ. 2203 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

कम्पनी का नाम

नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि.

1. मंडल कार्यालय-2, जम्मू
2. शाखा कार्यालय-2, जम्मू

[संख्या 13011/1/93-हि.का.क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 1994

S.O. 2203.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India (Under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company : National Insurance Co. Ltd.,

1. Divisional Office-2, Jammu
2. Branch Office-2, Jammu

[No. 13011/1/92-HIC]

SUDHEER KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1994

का.आ. 2204 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्न-लिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

कंपनी का नाम :—नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

1. नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,
   शहर शाखा कार्यालय,
   क्र.-5, इन्दौर

[सं. 13011/1/93-हि.का.क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 1994

S.O. 2204.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of India (Under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company.—National Insurance Co. Ltd.,

1. City Branch Office, Sl. 5, Indore.

[No. 13011/1/92-HIC]

SUDHEER KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1994

का.आ. 2205 केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है :

कम्पनी का नाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं. लि.

1. प्रादेशिक कार्यालय, बम्बई
2. मण्डल कार्यालय 1, बम्बई
3. मण्डल कार्यालय 3, बम्बई
4. मण्डल कार्यालय 4, बम्बई
5. मण्डल कार्यालय 5, बम्बई
6. मण्डल कार्यालय 6, बम्बई
7. मण्डल कार्यालय 7, बम्बई
8. मण्डल कार्यालय 9, बम्बई
9. मण्डल कार्यालय 10, बम्बई
10. मण्डल कार्यालय 12, बम्बई
11. मण्डल कार्यालय 14, बम्बई
12. मण्डल कार्यालय 15, बम्बई
13. मण्डल कार्यालय 16, बम्बई
14. मण्डल कार्यालय 1, पुणे
15. शाखा कार्यालय कैम्प

16. शाखा कार्यालय, हडपसर
17. शाखा कार्यालय, सिलकरोड
18. मण्डल कार्यालय, औरंगाबाद
19. शहर शाखा कार्यालय 1, औरंगाबाद
20. शहर शाखा कार्यालय 2, औरंगाबाद
21. शहर शाखा कार्यालय 3, औरंगाबाद
22. शाखा कार्यालय, बीड
23. शाखा कार्यालय, खामगांव
24. मण्डल कार्यालय जलगांव
25. शाखा कार्यालय, धुलिया
26. मण्डल कार्यालय, नासिक
27. मण्डल कार्यालय-1, नागपुर
28 शहर शाखा कार्यालय 3, नागपुर
29 मण्डल कार्यालय-2, नागपुर
30 शहर शाखा कार्यालय 1, नागपुर
31. शाखा कार्यालय, वर्धा
32. मण्डल कार्यालय, नांदेड़
33. मण्डल कार्यालय, सोलापुर
34. शहर शाखा कार्यालय, सोलापुर
35. शाखा कार्यालय, मिरज
36. शहर शाखा कार्यालय 3, कोल्हापुर
37. मण्डल कार्यालय, सातारा
38. मण्डल कार्यालय, अमरावती
39. शाखा कार्यालय, गिरीडीह
40. शाखा कार्यालय-1, दरभंगा
41. शाखा कार्यालय, मोहाली
42. शाखा कार्यालय, चण्डीगढ़-11
43. शाखा कार्यालय, चण्डीगढ़-1
44. शाखा कार्यालय, मंडी डबवाली
45. मण्डल कार्यालय जम्मू
46. शाखा कार्यालय, जम्मू-1
47. शाखा कार्यालय, करनाल
48. शाखा कार्यालय, कैथल
49. शाखा कार्यालय, नंगल
50. शाखा कार्यालय, ऊना
51. शाखा कार्यालय, गुरदासपुर
52. शाखा कार्यालय, कठुआ
53. शाखा कार्यालय, दसुआ
54. मण्डल कार्यालय, पठान कोट
55. शाखा कार्यालय, बहादुरगढ़
56. शाखा कार्यालय, रोपड़
57. शाखा कार्यालय, राजपुरा
58. शाखा कार्यालय, चंडीगढ़-3
59. शाखा कार्यालय, सुनाम
60. शाखा कार्यालय, नाभा
61. शाखा कार्यालय, समाना
62. मण्डल कार्यालय, जम्मू-2
63. शाखा कार्यालय, गंगवाल
64. शाखा कार्यालय, उधमपुर
65. क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद
66. मण्डल कार्यालय 1, अहमदाबाद
67. मण्डल कार्यालय-3, अहमदाबाद
68 मण्डल कार्यालय 4, अहमदाबाद
69. मण्डल कार्यालय, मोडासा
70. शाखा कार्यालय, ऊना
71. शाखा कार्यालय, पोरबन्दर
72. शाखा कार्यालय, गांधीधाम
73. शाखा कार्यालय, सुरेन्द्रनगर
74. शाखा कार्यालय, पनवेल
75. शाखा कार्यालय, वाशी
76. मण्डल कार्यालय, अलीबाग
77. शाखा कार्यालय, महाड
78. शाखा कार्यालय उहण
79. शाखा कार्यालय, बोईसर
80. मण्डल कार्यालय, आर.सी.एफ
81. शाखा कार्यालय, डोंबिवली
82. शाखा कार्यालय, उल्हास नगर
83 मण्डल कार्यालय, सी.बी.डी.
84. क्षेत्रीय कार्यालय-11, बम्बई
85. मण्डल कार्यालय-2, बम्बई
86. मण्डल कार्यालय 8, बम्बई
87. मण्डल कार्यालय 11, बम्बई
88. मण्डल कार्यालय 13, बम्बई
89. शाखा कार्यालय, मालाड

[सं. 13011/1/92—हि.का.क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 1994

S.O. 2205.—In pursuance of Sub-Roles (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules 1976 the Central Central Government hereby notifies the following offices of the General Insurance Corporation of

India (under the Administrative control of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) where of more than 80 percent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

Name of the Company :— United India Insurance Co. Ltd.,

1. Regional Office, Bombay
2. Divisional Office-1, Bombay
3. Divisional Office-3, Bombay
4. Divisional Office-4, Bombay
5. Divisional Office-5, Bombay
6. Divisional Office-6, Bombay
7. Divisional Office-7, Bombay
8. Divisional Office-9, Bombay
9. Divisional Office-10, Bombay
10. Divisional Office-12, Bombay
11. Divisional Office-14, Bombay
12. Divisional Office-15, Bombay
13. Divisional Office-16, Bombay
14. Divisional Office-1, Pune
15. Branch Office, Camp
16. Branch Office, Hadapasar
17. Branch Office, Tilakroad
18. Divisional Office, Aurangabad
19. City Branch Office-1, Aurangabad
20. City Branch Office-2, Aurangabad
21. City Branch Office-3, Aurangabad
22. Branch Office, Beed
23. Branch Office, Khamgaon
24. Divisional Office, Jalgaon
25. Branch Office, Dhuliya
26. Divisional Office, Nasik
27. Divisional Office, Nagpur
28. City Branch Office-3, Nagpur
29. Divisional Office-2, Nagpur
30. City Branch Office-1, Nagpur
31. Branch Office, Verdha
32. Divisional Office, Nader
33. Divisional Office, Solapur
34. City Branch Office, Solapur
35. Branch Office, Miraj
36. City Branch Office-3, Kolhapur
37. Divisional Office, Satara
38. Divisional Office, Amravati
39. Branch Office, Girideeh
40. Branch Office-I, Darabhanga
41. Branch Office, Mohali
42. Branch Office-II, Chandigarh
43. Branch Office, Chandigarh-I
44. Branch Office, Mandi Dabbali
45. Divisional Office, Jammu
46. Branch Office-1, Jammu
47. Branch Office, Karnal
48. Branch Office, Kaithal
49. Branch Office, Nangal
50. Branch Office, Una
51. Branch Office, Gurdaspur
52. Branch Office, Kathua
53. Branch Office, Dasua
54. Divisional Office, Pathankot
55. Branch Office, Bahadurgarh
56. Branch Office, Ropar
57. Branch Office, Rajpura
58. Branch Office, Chandigarh-3.
59. Branch Office, Sunaam
60. Branch Office, Nabha
61. Branch Office, Samaana
62. Divisional Office-2, Jammu
63. Branch Office, Gangyal
64. Branch Office, Udhampur
65. Regional Office, Ahamedabad
66. Divisional Office-1, Ahmedabad
67. Divisional Office-3, Ahmedabad
68. Divisional Office-4, Ahmedabad
69. Divisional Office, Moda-sa
70. Branch Office, Unda
71. Branch Office, Porbandar
72. Branch Office, Gandhidham
73. Branch Office, Surendrangar
74. Branch Office, Panvel
75. Branch Office, Washi

76. Divisional Office, Alibagh
77. Branch Office, Mhad.
78. Branch Office, Hadroon
79. Branch Office, Boisar
80. Divisional Office, R.C.F.
81. Branch Office, Dombiwali
82. Branch Office, Ulhasnagar
83. Divisional Office, C. B. D.
84. Regional Office-II, Bombay
85. Divisional Office-2, Bombay
86. Divisional Office-8, Bombay
87. Divisional Office-II, Bombay
88. Divisional Office-13, Bombay
89. Branch Office, Malad

[No. 13011|1|92-HIC]

SUDHEER KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1994

का.आ. 2206.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में (वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित) भारतीय जीवन बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. शाखा कार्यालय, अमृतसर-1
2. शाखा कार्यालय, अमृतसर-4
3. शाखा कार्यालय, पठानकोट-1
4. शाखा कार्यालय पठानकोट-2
5. शाखा कार्यालय, फिरोजपुर
6. शाखा कार्यालय, फाजिल्का
7. शाखा कार्यालय, अबोहर

[संख्या 13011/1/92-हि.का.क.]

सुधीर कुमार वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 1994

S.O. 2205.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules 1976 the Central Government hereby notifies the following offices of the Life Insurance Corporation of India (Under the Administrative Control of Ministry of Finance Department of Economic Affairs) where of more than 80 per cent of staff have acquired working knowledge of Hindi.

1. Branch Office-1, Amritsar
2. Branch Office-4, Amritsar.
3. Branch Office-1, Pathankot
4. Branch Office-2, Pathankot
5. Branch Office, Ferozpur
6. Branch Office, Fazilka
7. Branch Office, Abhor.

[No. 13011/1/92-HIC]

SUDHEER KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1994

का.आ. 2207.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 के खण्ड 9 के उपखण्ड (2) के साथ पठित खण्ड, 3 के उपखण्ड, (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री कुलूर उमेश नायक विशेष सहायक, सिंडिकेट बैंक, अर्मोनियम स्ट्रीट, मद्रास के दिनांक 23 अगस्त, 1994 से 22 अगस्त, 1997 तक या जब तक वे सिंडिकेट बैंक के एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इनमें से जो पहले हो सिंडिकेट बैंक के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है।

[सं. 15/3/94-आई आर]

एस. के. बतरा, अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 23rd August, 1994

S.O 2207.—In pursuance of sub-clause (b) of Clause 3 read wth sub-clause (2) of Clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Kulur Umesh Nayak, Special Assistant, Syndicate Bank, Armenian Street, Madras as a Director on the Board of Directors of Syndicate Bank with effect from 23rd August, 1994 to 22nd August, 1997 or until he ceases to be an employee of the Syndicate Bank, whichever is earlier.

[No. 15/3/94-IR]

S. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1994

का.आ. 2208.—राष्ट्रीयकृत बैंक, प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड, 9 के उपखण्ड, (2) के साथ पठित खंड 3 के उपखण्ड, (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वरुण चटर्जी, विशेष सहायक कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज शाखा कलकत्ता को दिनांक 23 अगस्त, 1994 से 22 अगस्त, 1997 तक या जब तक वे यनाइटेड बैंक आफ इंडिया के एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं इनसे, जो पहले हो यनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है।

[सं. 15/7/93-आई आर]

एस.के. बतरा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 1994

SO. 2208.—In pursuance of sub-clause (b) of Clause 3 read with sub-clause (2) of Clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Barun Chatterjee, Special Assistant, Calcutta Stock Exchange Branch Calcutta as a Director on the Board of Directors of United Bank of India with effect from 23rd August, 1994 to 22nd August, 1997 or until he ceases to be an employee of the United Bank of India, whichever is earlier.

[F. No. 15/7/93-IR]

S. K. BATRA, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 2 अगस्त, 1994

आयकर

का.आ. 2209.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा को प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

डायाबेटिस रिसर्च सेन्टर फाउन्डेशन,
4, मेन रोड, राया पुरम,
मद्रास—600013

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

(2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 890/एफ सं०म०नि०/आ०क० (छूट)/त.ना.—18/35(1)(ii)/89—आ.क. (छूट)]

श्रीमती एस राय, उप निदेशक

(Department of Revenue)

Calcutta, the 2nd August, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 2209.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :
"Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scietific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Diabetes Research Centre Foundation,
4, Main Road, Royapuram,
Madras-600013.

This Notification is effective for the period from 1-4-93 to 31-3-94.

NOTES :

(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 890|F. No. DG|IT(E)|TN-18|35(1)(ii)/89-IT(E)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 2 अगस्त, 1993

आयकर

का०आ० 2210.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

द टीयूबरकुलोसिस एसोसियेशन ऑफ इंडिया,
3 रेड क्रास रोड,
नई दिल्ली-1

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 891/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/न.दि. 49/35(1)(ii)/90-आ.का. (छूट)]

श्रीमती एस० राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 2nd August, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2210.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rules 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Researfch, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Tuberculosis Association of India.
3, Red Cross Road,
New Delhi-1.

This Notification is effective for the period from 1-4-91 to 31-3-93.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 891|F. No. DG|IT(E)|ND-49|35(1)(ii)/90-IT(E)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 26 मार्च, 1993

आयकर

का.आ. 1924.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर, नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

केवल्यधमा श्रीमान माधव योगा मंदिर समिति,
लोनावाला–410403,
महाराष्ट्र

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं 892/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)एम-19/35(1)(ii)/89-आ.क.(छूट)]

श्रीमती एस. राय

Calcutta, the 2nd August, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2211.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Kaivalyadhama Shriman Madhava Yoga Mandir Samity,
Lonavala-410403,
Maharashtra.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-95.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 892/F. No. DG/IT(E)/M-19/35(1)(ii)/89-IT(E)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 2 अगस्त, 1993

आयकर

का.आ. 2212.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन ऑफ साइंसेस,
लॉ कालेज रोड़,
पुने—411004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[सं. 9893/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)एम-80/35-(1)(ii)/90आ.क.(छूट)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 2nd August, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2212.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mahrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Maharashtra Association for the Cultivation of Sciences,
Law College Road,
Pune-411004.

This Notification is effective for the period from 1-4-93 to 31-3-96.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 893|F. No. DG|IT(E)|M-80|35(1)(ii)/90-IT(E)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 2 अगस्त, 1993

आयकर

का०आ० 2213.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कैन्सरकेयर ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउन्डेशन,
3/1, रेस कोर्स रोड,
इन्दौर—452003

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 894/फा.सं.नि./आ.क. (छूट)/एमपी 3/5(1)(ii)/90 आ.क.(छूट)]

श्रीमती ए. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 2nd August, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2213.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities.

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May or each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Cancer Care Trust & Research Foundation,
3|1, Race Course Road,
Indore-452003.

This Notification is effective for the period from 1-4-93 to 31-3-94.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 894|F. No. DG|IT(E)|MP-3|35(1)(ii)/90-IT(E)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 2 अगस्त, 1993

आयकर

का.आ. 2214.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक **सचिव**, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नैशनल फाउन्डेशन ऑफ इंडियन इंजीनियर्स,
11/6 बी, पूसा रोड,
नई दिल्ली–110005

यह अधिसूचना 9-3-90 से 31-3-92 तक प्रभावी रहेगी।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 895 (एफ.सं.म. नि./आ.क. (छूट)एन.डी. 43/35(1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 2nd August, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 2214.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commisioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

National Foundation of Indian Engineers,
11/6B, Pusa Road,
New Delhi-110005.

This Notification is effective for the period from 9-3-90 to 31-3-92.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 895/F. No. DG/IT(E)/ND-43/35(1)(ii)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 2 अगस्त, 1993

आयकर

का. आ. 2215.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

फ्लूइड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट
कंजीकोडा वेस्ट,
पालाघाट-678623
केरल

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1996 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सलाह दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 896/एफ. सं. म.नि./आ.क (छूट)/के-4/35(1)(ii)/89-आ.क. (छूट)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 2nd August, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2215.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commisioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Fluid Control Research Institute,
Kanjikode West,
Palaghat-678623,
Kerala.

This Notification is effective for the period from 01-04-93 to 31-3-96.

NOTES :

(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 896/F. No. DG/IT(E)/K-4/35(1)(ii)/89-IT(E)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 4 अगस्त, 1993

आयकर

का. आ. 2216.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "औद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी,
13, इंकरगंज, इलाहाबाद

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना हैं।

[सं. 897/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/यू. पी. 1/35(1)(ii)/89-आ. क. (छूट)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 4th August, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2216.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Viklang Kendra Rural Research Society,
13, Inkerganj,
Allahabad.

This Notification is effective for the period from 1-4-91 to 31-3-94.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 897|F. No. DG|IT(E)|UP-1|35(1)(ii)/89-IT(E)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 8 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2217:— सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा ; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई विनिर्दिष्ट कार्यों सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

क्रिश्चन मेडिकल कालेज,
लुधियाना सोसाइटी, ब्राउन रोड,
लुधियाना,—141008 पंजाब

यह अधिसूचना दिनांक 15-6-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करता है ।

[संख्या : 898/एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)/पं-3/35 (1) (ii)/]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta the 8th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2217.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Christian Medical College,
Ludhiana Society,
Brown Road,
Ludhiana-141008,
Punjab.

This Notification is effective for the period from 15-6-1993 to 31-3-1994.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Dirtctor of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 898|F. No. DG|IT(E)|P-8|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 10 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2218.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

सोशल पालिसी रिसर्च इंसटीट्यूट
5डी, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
झलाना, डूंगरी सिटी एक्स. स्कीम
जयपुर–4

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 899/(एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)/आर-2/35(1)(iii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 10th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2218.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the fololwing conditions :

(i). The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Social Policy Research Institute,
5D, Institutional Area,
Jhalana Doongri City Ext. Scheme,
Jaipur-4.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 899/F. No. DG/IT(E)/R-2/35(1)(iii)]
SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 10 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2219.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा; और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गूजरमल मोदी साईंस फाउन्डेशन,
द्वारा—मोदी थ्रेड लिमिटेड,
मोदी नगर—201201
जिला—गाजियाबाद

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सख्या 900/एफ. स. म. नि./आ. क. (छूट)/.यूपी. 13/35(1)(ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 10th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2219.—It is herby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income--tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gujar Mal Modi Science Foundation,
C/o. Modi Thread Limited,
Modinagar-201201,
Distt. Ghaziabad.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commisioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 900|F. No. DG|IT(E)|UP-13|35(1)(ii)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 10 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2220 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली–110016 को भेजेगा; और

(3) यह प्रत्यक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों में सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस,
बंगलौर–560012
साइंस इस्टीट्यूट पोस्ट-आफिस,
बंगलौर–560012

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 901/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/केटी 21/35 (1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta the 10th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2220.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Institute of Sciences,
Bangalore-560012,
Science Institute Post Office,
Bangalore-560012.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commisioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 901/F. No. DG/IT(E)/KT-21/35(1)(ii)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 10 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2221.—सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धी छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट
बन्नैर घाटा रोड,
बंगलौर–560076

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट, कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या: 902/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/के टी-39/35(1)(ii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 10th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2221.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities.

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Institute of Management
Bannerghatta Road,
Bangalore-560076.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 902|F. No. DG|IT(E)|KT-39|35(1)(ii)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 10 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2222.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धी छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

सेन्टर फार आर्गेनाइजेशन डेवलपमेन्ट,
बंजारा हिल्स,
हैदराबाद—500034

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी:—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[सं. 903/एफ सं. म. नि./आ. क. (छूट) आ.प्र. 7/35-(1)(iii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 10th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2222.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities.

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Organisation Development,
Banjara Hills,
Hyderabad-500034.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 903|F. No. DG|IT(E)|AP-7|35(1)(iii)]

MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 13 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2223.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रोद्योगिकी भवन" न्यू मैहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

हैदराबाद आई रिसर्च फाउन्डेशन,
रोड नं. 2, बंजारा हिल्स
हैदराबाद-500034

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—

1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन कर, अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 904 एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट) आ. प्र.-16/35(1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 13th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2223.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Hyderabad Eye Research Foundation,
Road No. 2, Banjara Hills,
Hyderabad-500034.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 904|F. No. DG|IT(E)|AP-16|35(1)(ii)]
SMT. S. RAY, Dy. Director.

कलकत्ता, 13 सितम्बर, 1993

आयकर

का०आ० 2224.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रोद्योगिकी भवन" न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

ग्रासिम मेडिकल रिसर्च संस्थान,
बिरलाग्राम, नागडा-456331,
(म.प्र.)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 905/एफ. सं. म० नि./आ० क० (छूट) म०प्र०-1/35(1)(ii)]

श्रीमति एस० राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 13th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2224.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been appoved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities:

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year, and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Grasim Medical Research Institute,
Birlagram,
Nagda-456331
(M.P.).

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 905|F. No. DG|IT(E)|MP-1|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 13 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2225.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संस्था' संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

सेन्ट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस,

88/2, बजाज नगर, नागपुर–440010

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[सं. 906/फा. सं. म.नि./आ.क. (छूट)/एम-46/35 (1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 13th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2225.—It is hereby notified for genera linformation that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) it will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research; and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having juridsiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Central India Institute of Medical Sciences,
88/2, Bajaj Nagar,
Nagpur-440010.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

NOTES : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 906|F. No. DG|IT(E)|M-46|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 13 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2226.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक, (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है, और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

इंडियन कैन्सर सोसाइटी
सोलापुर,
8389/2-बी, रेलवे लाइन्स,
सोलापुर–413001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 907/एफ. सं. म.नि./आ.क. (छूट)/ए-9/35 (1)(ii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta the 13th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2226.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October, each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of the audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Cancer Society
Solapur,
8389/2-B, Railway Lines,
Solapur-413001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

NOTES : 1.—Conditibn (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 907|F. No. DG|IT(E)|M-9|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 13 सितम्बर, 1993

आयकर

का०आ० 2227.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर विश्वविद्यालय संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड़, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा को प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुजरात विद्यापीठ,
आश्रम रोड,
अहमदाबाद–380014

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या (908/एफ सं. म. नि./आ. क. (छूट) जी-29/35 (1) (ii)]
श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 13th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2227.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :—

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gujarat Vidyapith,
Ashram Road,
Ahmedabad-380014.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 908/F. No. DG/IT(E)/G-29/35(1)(ii)]
SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 16 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ 2228 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों की एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुजरात मेथोडिस्ट चर्च,
कारडियोथोरासिस एंड वासकुलर रिसर्च सोसाइटी,
मिशन रोड,
नदियाड–387001, गुजरात

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 909/एफ सं. म.नि./आ.क.(छूट)/जी.-53/35(1)(ii)/91-आ.क.(छूट)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 16th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2228.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gujarat Methodist Church,
Cardiothoracis And Vascular Research Society,
Mission Road,
Nadiad-387001.
Gujarat.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 909|F. No. DG|IT(E)|G-53|35(1)(ii)|91-IT(E)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 20 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2229:— सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्य-कलाप सम्बन्धी (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

जी.ई. एफ.सी. साइन्स फाउन्डेशन,
पो.आ. फरटीलाइजर नगर—391750,
जिला—बड़ोदा

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 910 /एफ.सं. म.नि./आ क. (छूट)/जी-55/35(1)(ii)]

श्रीमति एस. रात, उप निदेशक

Calcutta, the 20th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2229.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

G.S.F.C. Science Foundation,
P.O. Fertilizer Nagar-391750,
Dist. Baroda.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 910|F. No. DG|IT(E)|G-55|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 22 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2230.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रोद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्य-कलाप सम्बन्धी (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी,
पो.आ. सेवाग्राम, वरधा,
महाराष्ट्र,
पिन–442102

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 911/एफ. सं. म.नि./आ.क. (छूट)/एम:-31/35(1)(ii)]

श्रीमती एस० राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd September, 1993

INCOME TAX

S.O.2230.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Kasturba Health Society,
P.O. Sevagram, Wardha,
Maharashtra,
PIN 442102.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Caclutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 911|F. No. DG|IT(E)|M-31|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 22 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2231 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "कालेज" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली, रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

बी.वी.एम. समीति,
ऑल इंडिया आयुर्वेद रिसर्च इनस्टीट्यूट,
श्री आयुर्वेद महाविद्यालय,
हनुमान नगर, नागपुर—440009

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 912/एफ.सं० म.नि./आ.क. (छूट)/एम.-48/35(1)(ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2231.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category 'College" subject to the following condition :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Bhartiya Vaidyak Samanaya Samiti,
(All India Ayurvida Research Institute),
Sri Ayurved Mahavidyalaya,
Hanuman Nagar,
Nagpur-440009.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 912|F. No. DG|IT(E)|M-48|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 22 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2232.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर विश्वविद्यालय संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुलबरगा विश्वविद्यालय,
"अन्ना नगर"
गुलबर्गा–585106

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 913/एफ. स. म. नि./आ. क. (छूट)/के. टी.-29/35 (1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2232.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gulbarga University,
"Anna Nagar"
Gulbarga-585106.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1994.

NOTE : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 913/F. No. DG/IT(E)/KT-29/35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 22 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2233.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है ।

1. संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा ।

2. यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन," न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

3. यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

ऑल इंडिया हार्ट फाउन्डेशन,
4874 (पहली मंजिल), अंसारी रोड,
24, दरियागंज, नई दिल्ली ।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[सं. 914/फा. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/न.दि. 39/35 (1)(ii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2233.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) **Secretary, Department** of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

All India Heart Foundation,
4874 (First Floor),
Ansari Road,
24, Daryaganj,
New Delhi.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 914/F. No. DG/IT(E)/ND-39/35(1)(ii)]

Smt. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 22 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2234.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स,
ऑफ इंडिया,
पो.बा.नं. 7100, इन्द्रप्रस्थ,
नई दिल्ली ।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[सं. 915 एफ. सं. म.नि./आ.क. (छूट) न.दि.—46/35 (1)(iii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2234.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has formation that the organisation mentioned below has Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution' subject to the following conditions :—

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Institute of Chartered Accountants of India,
P.B. No. 7100,
Indraprastha,
New Delhi.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 915/F. No. DG/IT(E)/ND-46/35(1)(iii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 23, सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2235.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मैहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा ; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा-प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिन के क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,
विश्वविद्यालय कैम्पस,
कलावाड रोड, राजकोट,
राजकोट-360005

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—

1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है कि माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें । अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 916/एफ सं.म.नि./आ.क. (छूट)/जी.-38/35/(1)(ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 23rd September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2235.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :—

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Meharauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Accounts in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sourashtra University,
University Campus,
Kalawad Road, Rajkot,
Rajkot-360005.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

NOTES :

1. Conditions (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and will in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 916|F. No. DG|IT(E)|G-38|35(1)(ii)]

Smt. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 24 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2236 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है, और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिरला इन्सटीट्यूट ऑफ साइन्टीफिक रिसर्च,
78, सैयद अमिर अलि एवन्यू,
कलकत्ता–700 019

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 917/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/प.वं.-11/35 (1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 24th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2236.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scienific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income--tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenture Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Institute of Scientific Research,
78, Syed Amir Ali Avenue,
Calcutta-700019.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES :

1. Conditions (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and will in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 917|F. No. DG|IT(E)|WB-11|35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 24 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2237.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

इंदिरा गांधी नेशनल सेन्टर, फॉर आर्टस्,
जनपथ—नई दिल्ली—110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होना ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 918/फ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/न.दि./22/35 (1) (iii)]

श्रीमति एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 24th September 1993

INCOME TAX

S.O. 2237.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indira Gandhi National Centre for Arts,
Janpath,
New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 918/F. No. DG/IT(E)/ND-22/35(1)(iii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 24 सितम्बर, 1993.

आयकर

का.आ. 2238.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

सेन्टर फॉर वोमेनस डेलपमेंट स्वडीस,
नई दिल्ली,

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 919/एफ. सं. म.नि./आ.क. (छूट)/न. दि-53/35(1) (iii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 24th September 1993

INCOME TAX

S.O. 2238.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Women's Development Studies, New Delhi.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 919/F. No. DG/IT(E) ND-53/35(1)(iii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 24 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2239.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

शाह इंडस्ट्रीयल रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
सा–15/171, गौतम बुद्ध राजपथ,
सारनाथ, वाराणसी–221007

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी :—(1) उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

(2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त / आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 920/एफ सं. म. नि/आ० क० (छूट)/उ० प्र. 2/35 (1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 24th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2239.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sah Industrial Research Institute,
Sa. 15/171, Gautam Buddha Rajpath,
Sarnath,
Varanasi-221007.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 920/F. No. DG/IT(E)/UP-2/35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 28 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2240.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्टर फॉर रिसर्च इन रूरल इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट,
2–ए, सेक्टर 19ए, मध्य मार्ग,
चंडीगढ़–160019

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

(2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 921/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/पी. 2/35 (1) (iii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 28th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2240.—It is hereby notified for genera linformation that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year; a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Research in Rural & Industrial Development,
2-A, Sector, 19A,
Madhya Marg,
Chandigarh-160019

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES : 1—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 921/F. No. DG/IT(E)/P-2/35(1)(iii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 29 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2241 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बिरला रिसर्च इन्स्टीट्यूट फॉर एप्लाइड साइन्सेस,
बिरलाग्राम—456331
नागदा (म.प्र.)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 922/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट) म. प्र.-2/35(1)(ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2241.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Birla Research Institute for Applied Sciences,
Birlagram-456331,
Nagda (M.P.).

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1993.

NOTES : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 922/F. No. DG/IT(E)/MP-2/35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 28 सितम्बर, 1993

आयकर

का०आ० 2242.—सर्वसाधारण की एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

पैरामाउंट अकादमी आफ टेक्नोलोजी,
14/3, छातावाला लेन,
कलकत्ता–700012

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 923/एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)/पब-39/35 (1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 28th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2242.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Paramount Academy of Technology,
14/3, Chhatawala Lane,
Calcutta-700012.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 923/F. No. DG/IT(E)/WB-39/35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 29 सितम्बर, 1993

आयकर

का. आ. 2243 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हरिलाल जे यांद दोषी सार्वजनिक अस्पताल
एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर,
मालविय नगर, गोंदल रोड,
पी-डी- मालविय कामर्स कालेज,
राजकोट—360004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—(1) उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 924/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/जी. 56/35 (1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2243.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-stction (1) of section 35 of the Income-tax Act 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Harilal Jechand Doshi Sarvajanik Hospital and Medical Research Centre,
Malaviyanagar,
Gondal Road,
P.O. Malaviya,
Commerce College,
Rajkot-360034.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 924/F. No. DG/IT(E)/G-56/35(1)(ii)]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 30 सितम्बर 1993

आयकर

का.आ. 2244 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरौली रोड़, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

इंडियन मेडिकल साइन्टीफिक रिसर्च फाउन्डेशन,
'अजय मेन्शन',
मालवीय रोड़, राजकोट-360002
गुजरात ।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 925/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/जी50/35-(1) (ii)/91]

श्रीमती एस. राय, उपनिदेशक

Calcutta, the 30th September, 1994

S.O. 2244.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION :

Indian Medical Scientific Research Foundation,
Ajoy Mansion,
Malaviya Road,
Rajkot-360002,
Gujarat (India).

This Notification s effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 925|F. No. DG|IT(E)|G-50|35(1)(ii)|91]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 30 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2245.—सर्वसाधारण की एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "कालेज" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" नई मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

सवाई मानसिंह, एस. मेडिकल कॉलिज)
(एस.एम.एस. मेडिकल कॉलिज) ।
जयपुर, राजस्थान ।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 926/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट) आर-5/35 (1) (ii)/90]

श्रीमती एस. राय, उप-निदेशक

Calcutta, the 30th September, 1993

INCOME TAX

S.O. 2245.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "College" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sawai Mansingh S. Medical College,
(S.M.S. Medical College),
Jaipur, Rajasthan.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 926|F. No. DG|IT(E)|R-5|35(1)(ii)|90]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 30 सितम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 2246 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक, अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरौली रोड़ नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

गुजरात रिसर्च एंड मेडिकल इन्सटीट्यूट,
कैम्प रोड़, सेहिलोंग,
अहमदाबाद-380004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 927/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)जी-51/35(1)(ii)/91]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 30th September, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2246.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gujarat Research and Medical
Institute, Camp Road,
Shahilang,
Ahmedabad-380004.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 927/F. No. DG/IT(E)/G-51/35(1)(i)/91]
SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 11 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2247 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

राजीव गांधी फाउंडेशन
जवाहर भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 30-7-91 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1 उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 928/एफ. सं.म.नि./आ.क. (छूट)त.दि. 95/35(1)(ii)/(iii)/91]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 11th October, 1993

INCOME-TAX

S.O.2247.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "*Institution*" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its Scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner, of Income-Tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Rajiv Gandhi Foundation
Jawahar Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 30-7-1991 to 31-3-1993.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 928/F. No. DG/IT(E)/ND-95/35(1)(ii)/(iii)/91
MRS. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 11 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2248—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को ही प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पालिसी, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इन्सटीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 929/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/न.दि. 72/35(1) (iii)/90]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 11th October, 1993

INCAME TAX

S.O.2248.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretery, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Maharauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptio having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION :

National Institute of Public Finance & Policy, 18/2, Satsang Vihar Marg, Special Institutional Area, New Delhi-110067.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995

Note : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and will in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 929/F. No. DG/IT(E)/ND-72/35(1)(iii)/90]

Mrs. S. ROY, Dy. Director

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2249 —सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली–110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा–परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय–व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री अरविंद इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन सोशल साइन्स
पोन्डेचेरी–605501

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31–3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 930/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/पोन-1/35(1)(iii)/89]
श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 12th October, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2249.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section 1 of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the Category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Departmet of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax(Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sri Aurobindo Institute of Research in Social Science
Pondicherry-605501

This Notification is effective for the period from 1-4-94 to 31-3-96.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 930/F. No. DGIT/(E)/Pon-I/35(1)(iii)/89]
MRS. S. ROY, Dy. Director

कलकत्ता, 13 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2250—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–16 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एन.एम. रेडिया चेरिटेबल अस्पताल,
दादा साहब गायकवाड रोड,
शोलापुर–413001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 931/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)एम.-128/35(1) (ii) 90]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 13th Oct. 1993

INCOME TAX

S.O. 2250.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions;

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st Oct. each year a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

N.M. Radia Charitable Hospital,
Dada Saheb Gaikwad Road,
Solapur-413001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 931/F.No. DG/IT(E)/M-128/35(1)(ii)/90

Mrs. S. ROY, Dy. Director

कलकत्ता, 14 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2251.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षीत आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नेशनल हैल्थ एंड एजूकेशन सोसाइटी,
वीर सवारकर मार्ग, माहिम,
बंबई–400016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 932 (एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट) एम-132/35(1) (ii)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 14th October, 1993

INCOME TAX

S.O.2251.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Ineome Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION :

National Health & Education Society,
Veer Savarkar Marg,
Mahim,
Bombay-400016.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval., to the Director General of Income-tax (exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 932(F.No. DG/IT/M-132/35(1)(ii)]

SMT. S. ROY, Dy. Director

कलकत्ता, 14 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2252.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रोद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एस.एन.बोस नेशनल सेंटर फॉर बसिक साएन्सेस,
डी.बी.—17, सेक्टर—1,
साल्ट लेक सीटी, कलकता-700064

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 933 (एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/प.ब. 28/35(1) (ii) 90]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Culcutta, the 14th October, 1993

INCOME TAX

S.O. 2252.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" Subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research Activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION :

S. N. Bose National Centre for Basic Sciences,
DB-17, Sector-I,
Salt Lake City,
Calcutta-700064.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax(/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 933 (F.No. DG/IT (E)/W.B. 28/35 (1) (ii)/90]

SMT. S. ROY, Dy. Director

कलकत्ता, 14 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2253.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षीत वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बैकुंठ भाई मेहता रिसर्च सेंन्टर फॉर डिसेन्ट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज, पांचवी फ्लोर, एन.के.एम. इंटरनेशनल हाउस, 178, बेकबेरिक्लेमेशन बंबई-400020।

यह अधिसूचना दिनांक 25-1-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 934 (एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट) एम-146/35(1) (iii)/91]

श्रीमती एस राय, उप निदेशक

Calcutta, the 14th October, 1993

INCOME TAX

S.O. 2253.— It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road. New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATIONS

Vaikunthbhai Mehta Research Centre For Decentralised Industries, 5th Floor, NKM Internatinnal House, 178, Backbay Reclamation, Bombay-400 020.

This Notification is effective for the period from 25-1-93 to 31-3-95.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (exemptions) having jurisdication over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 934 (F.No. DG/IT(E)/M-146/35 (1) (iii)/91]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 15 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2254.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई, तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

कानवेस्ट जैन मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, 8/10, मिकाडवारी लेन, खनडेवाड़ी, बंबई-400004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 935/एफ.सं.म.नि./आ.क. (छूट) एम-30/35(1)/(ii)/90-91]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 15th October, 1993

INCOME-TAX

S.O. 2254.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Conwest Jain Medical Research Society,
8/10, Mikadwari Lane,
Kandewadi,
Bombay-400004.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

NOTES : 1.—Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 935/F. No. DG/IT(E)/M-30/35(1)/(ii)/90-91]

SMT. S RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 18 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2255.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) में खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्य मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षीत आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

जयरामदास पटेल साइंटिफिक रिसर्च फाउन्डेशन, 705 एरोस अपार्टमेन्ट, 56 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 936 (एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)एन. डी.-17/35/(1)(ii)89]

श्रीमती एस.राय, उप निदेशक

Calcutta, the 18th October, 1993

INCOME TAX

S.O. 2255.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road,New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Jayaramdas Patel Scientific Research Foundation,
705, Eros Apartments,
56, Nehru Place,
New Delhi-110019.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 936 (F.No.DG/IT(E)/ND-17/35(1)(ii)/89]

SMT. S. RAY, Dy. Director

कलकत्ता, 27 अक्तूबर, 1993

आयकर

का.आ. 2256.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दिव्यज्योति आयुर्वेदिक रिसर्च फाउन्डेशन, 9, स्वेता पार्क, नियर मनेकबाग हाल, अहमदाबाद-380015

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 938(एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/सी 49/35(1)(ii) (90)]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 27th October, 1993

INCOME TAX

S.O. 2256.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Divyajyoti Ayurvedic Research Foundation,
9, Sweta Park, Near Manekbag
Ahmadabad-380015.

This Notification it effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 937 (F.No.DG/IT(E)/C-49/35(1)(ii)/90]

SMT. S. ROY, Dy. Director

कलकत्ता, 28 अक्तूबर, 1993

आयकर

का. आ. 2257.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चूरी इण्डिया सोसायटी, 2-ए सेक्टर 19-ए मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या 938(एफ सं०म०नि०/आ०क०(छूट)/पी-3/35(1)(iii)/89]

श्रीमती एस. राय, उप निदेशक

Calcutta, the 28th October, 1993

INCOME TAX

S.O. 2257.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/-Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION:

Twenty First Century India Society,
2-A, Sector 19-A, Madhya Marg,
Chandigarh-160019.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industria Research

[No. 938(F.No.DG/IT(E)/P-3/35(1)(iii)/89]

SMT. S. ROY, Dy. Director

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1994

का. आ. 2258.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

(1) दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
चाणक्य भवन,
चाणक्य पुरी,
नई दिल्ली-110021

(2) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
विक्रय कार्यालय, पटना
आर० के० भट्टाचार्य रोड,
पटना-800001

[सं.ई.-11012/(1)/92-हिन्दी]
ओ.पी. शरवर, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 16th August, 1994

S.O. 2258.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices whereof 80 per cent staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. The National Industrial Development Corporation Ltd.,
Chankya Bhawan,
Chankyapuri,
New Delhi-110021.

2. Tyre Corporation of India Ltd.,
Sale Office, Patna,
R.K. Bhattacharya Road,
Patna-800001.

[No. E-11012(1)/92-Hindi]
O. P. SHARVAR, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2259.— भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व सन भांग का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 383 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 28-2-1994 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रस्तावों के संबध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

(1) यह अधिसूचित करती है कि सन भांग निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) सन भांग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1942 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे सन भांग को लागू होगा ।

(3) सन भांग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1942 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में सन भांग के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिदिशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यता-प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात एक किलोग्राम शुद्ध भार से अनधक सन भांग के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में, सन भांग से भारत में उत्पादित सन भांग अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा.सं. 6/2/93-ई आई एण्ड ई]
कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2259.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Sann Hemp to

quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S. O. 383, dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so do do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Sann Hamp shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Sann Hemp Grading and Marking Rules, 1942 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Sann Hemp prior to export ;

(3) recognises the grade designation formulated under the Sann Hemp Grading and Marketing Rules, 1942.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Sann Hemp unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1953).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial sample of Sann Hemp not exceeding one kilogramme weight (nett).

(6) In this Order Sann Hemp means Sann Hemp produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2260.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सनभांग का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात, (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) सन भांग से भारत में उत्पादित सन भांग अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित सन भांग का निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:— (1) सन भांग का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन —

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सन भांग के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में सभर्थ हो सके ।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले सन भांग का परेषण नियम 3 में विनिर्दिष्ट निर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा ।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

5. पैकिंग और चिन्हांकन—(1) निर्यात के लिए सनभांग पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मद का नाम और किस्म ;

(ग) श्रेणी

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख ;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार ;

(च) भारत का उत्पाद ;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस — अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी ।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

8. अपील :— (1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[फा. सं. 6/2/93 – ई. आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2260.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Sann Hemp (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(d) "Sann Hemp" means the Sann Hemp produced in India.

3. Basis of Inspection :—Inspection of Sann Hemp intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Sann Hemp shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted.—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency ; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Sann Hemp as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Sann Hemp to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as export-worthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Sann Hemp for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages :—

(a) Name and address of the exporter ;

(b) Name of the item and variety ;

(c) Grade ;

(d) Lot number and date of packing ;

(e) Gross weight and net weight ;

(f) Product of India ;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the permises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note :—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2261.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व तम्बाकू की क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 384 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-1994 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

(1) यह अधिसूचित करती है कि तम्बाकू निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे तम्बाकू को लागू होगा ।

(3) तम्बाकू श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1937 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में तम्बाकू के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात एक किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक तम्बाकू के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में, तम्बाकू से भारत में उत्पादित धूम्र संसाधित वर्जीनिया, धूप संसाधित वर्जीनिया, श्वेत जो, नाटू और मोतीहारी तम्बाकू अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 6/2/93–ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2261.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Tobacco to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 384, dated 17th January, 1994.

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 28-2-1994;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Tobacco shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Tobacco Grading and Marketing Rules, 1937 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Tobacco prior to export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Tobacco Grading and Marketing Rules, 1937;

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Tobacco unless it conforms to the standard specifications applicable to it and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Tobacco not exceeding one kilogram weight (net);

(6) In this Order Tobacco means Flue Cured Virginia, Sun-Cured Virginia, white barley, Natu and Motihari Tobaccos produced in India;

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2262.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तंबाकू का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) तंबाकू से भारत में उत्पादित धुंआ संसाधित वरजीनिया, धूप संसाधित मोतीहारी तंबाकू अभिप्रेत है । वरजीनिया, श्वेत जौ, नाटु और अभिप्रेत हैं ।

3. निरीक्षण का आधार :

निर्यात के लिए आशयित तंबाकू का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) तंबाकू का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तंबाकू के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले तंबाकू का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ताओं को ऐसे इंकार की सूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण को क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिह्नांकन—(1) निर्यात के लिए तंबाकू पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मद का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी,

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिह्न।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस—अभिकरण द्वारा परेषानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण: निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य/गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा. सं. 6/2/93-ई.आई.एंड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2262.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Tobacco (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires.

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Tobacco" means the Flue Cured Virginia, White barley, Natu and Motihari Tobacco produced in India,

3. Basis of Inspection.—Inspection of the Tobacco intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Tobacco shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of tobacco as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Tobacco to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignmet being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Tobacco for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note.—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days from the date of its receipt.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2263.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व शुक्र का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 385 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, (खंड) 3 उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-1994 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीसण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि शुक्र निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) शुक्र श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1950 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप

में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे—शूक को लागू होगा।

(3) शूक श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1950 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में शूक के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात 0.225 किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक शूक वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, शूक से सूअर, शूकर और वराह से अभिप्राप्त और भारत में उत्पादित शूक अभिप्रेत है।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 6/2/93-ईआई एंड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2263.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Bristles to quality contral and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 385 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Bristles shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Bristles, Grading and Marking Rules, 1950 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Bristles prior to export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Bristle Grading and Marketing Rules, 1950

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Bristles to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a cerificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of not exceeding 0.225 kilogramme in weight (nett).

(6) In this Oder Bristles means Bristles of animal origin obtained from pigs, hogs and boars and produced in India

[File No. 6|2|93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA. Director.

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2264.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शूक का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) शूक में सूअर, शूकर और वराह से अभिप्राप्त तथा भारत में उत्पादित शूक अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :

निर्यात के लिए आशयित शूक का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है

और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) शूक का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशायित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) एस परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शूक के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले शूक का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित देगा ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

5. पैकिंग और चिन्हांकन—(1) निर्यात के लिए शूक पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मद का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी;

(घ) लॉट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ.) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान:—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते है, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस :— अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी ।

टिप्पण:—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

8. अपील:—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[फा. सं. 6/2/93-ई. आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2264.—In exercise of the powers conferred by Scetion 17 of the Export Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Bristles (Quality Conrol and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Bristle" means the Bristles of animal origin obtained from pigs, hogs and boars and produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Bristles intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Bristles shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency ; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Bristles as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Bristles to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignments at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) As exporter intending to pack Bristles for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Cenral Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2265.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व लमेन ग्रास तेल का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 386 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-1994 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि लेमन ग्रास तेल निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) लेमन ग्रास तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1954 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे—लेमन ग्रास तेल को लागू होगा।

(3) लेमन ग्रास तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1954 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में लेमन ग्रास तेल के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात दो किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक लेमन ग्रास तेल के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, लेमन ग्रास तेल से भारत में उत्पादित लेमन ग्रास तेल अभिप्रेत है।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 6/2/93-ई आई एण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2265.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Lemon Grass Oil to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 1; of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 386 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public in the 28-2-1994.

And, whereas, the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedien se to do for the development of the export trade of India, hereby:—

(1) notifies that Lemongrass oil shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Lemongrass oil, Grading and Marking Rules, 1954 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such export;

(3) recognises the grade designation farmulated under the Lemongrass oil, Grading and Marketing Rules, 1954.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Lemongrass oil to the standard specificaions applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nohting in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial sample of Lemongrass oil not exceeding two kilogramme in weight (nett).

(6) In this order Lemongrass oil means Lemongrass oil produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2266.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेमन ग्रास तेल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषिविपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) लेमन ग्रास तेल से भारत में उत्पादित लेमन ग्रास तेल अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :

निर्यात के लिए आशयित लेमन ग्रास तेल का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) लेमन ग्रास तेल का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित नहीं हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार लेमन ग्रास तेल के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले लेमन ग्रास तेल का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित देगा।

(6) प्रभारीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर, परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिन्हांकन—(1) निर्यात के लिए लेमन ग्रास तेल पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी :—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मदे का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी,

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस—अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम, फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को,

जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा.सं. 6/2/93-ई.आई.एंड ई.पी.]
कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2266.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Lemongrass oil (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Lemongrass oil" means the Lemongrass oil produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Lemongrass oil intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Lemongrass oil shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,-

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in subrule (2) the Agency shall inspect the consignment of Lemongrass oil as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Lemongrass oil to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Lemongrass oil for export hall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross Weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[F. 6/2/93-EI&EP]
KUM. S'MA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2267.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व ऊन का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 387 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि ऊन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) ऊन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1961 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है कि निर्यात से पूर्व ऐसे ऊन को लागू होगा।

(3) ऊन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1961 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऊन के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात ढाई किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक ऊन के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, ऊन से, भेड़ से अभिप्राप्त भारत में उत्पादित ऊन अभिप्रेत है।

(7) इस आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 6/2/93-ई आई एंड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बणा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2267.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Wool to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) or rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3 Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 387, dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient so do do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Wool shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Wool, Grading and Marking Rules, 1961 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Wool prior to export ;

(3) recognises the grade designation formulated under the Wool Grading and Markering Rules, 1961.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Wool unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issuld by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act. 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Wool not exceeding two and a half kilogrammes (nett).

(6) In this Order Wool means wool obtained from Sheep and produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2268.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊन का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) "ऊन" से भेड़ से अभिप्राप्य और भारत में उत्पादित ऊन अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार.

निर्यात के लिए आशयित ऊन का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) ऊन का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकट तम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ऊन के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले ऊन का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिह्नांकन—(1) निर्यात के लिए ऊन पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मदें का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी;

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिह्न।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा. सं. 6/2/93-ई.आई.एंड ई.पी.]
कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2268.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Wool (Quality Control and inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(d) 'Wool" means the wool obtained from Sheep and produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of wool intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export wool shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency: and
Agency ; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of wool as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of wool to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack wool for export shall pack in standard packages of as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages :—

(a) Name and address of the exporter ;
(b) Name of the item and variety ;
(c) Grade ;
(d) Lot number and date of packing ;
(e) Gross weight and net weight ;
(f) Product of India ;
(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note :—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days from the date of its receipt.

[File No. 6/2/93-EI & EP]

Kum. SUMA SUBBANNA, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2269.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व चंदन काष्ठ तेल का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लगाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 388 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांग गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि चंदन काष्ठ तेल निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) चंदन काष्ठ तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1954 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे चंदन काष्ठ तेल को लागू होगा।

(3) चंदन काष्ठ तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1954 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में चंदन काष्ठ तेल के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात चालीस तोला शुद्धभार से अनधिक चंदन काष्ठ तेल वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, चंदन काष्ठ तेल से भारत में उत्पादित चंदन काष्ठ तेल अभिप्रेत है।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 6/2/93-ईआई एंड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बंण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2269.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Sandal Wood Oil to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 388 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby: —

(1) notifies that Sandal Wood Oil shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Sandal Wood Oil, Grading and Marking Rules, 1954 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Sandal Wood Oil prior to export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Sandal Wood Oil Grading and Marketing Rules, 1994;

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Sandal Wood Oil unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air commercial samples of Sandal Wood Oil not exceeding forty tolas in weight (nett).

(6) In this Order Sandal Wood Oil means Sandalwood Oil produced in India.

(7) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2270.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चंदन काष्ठ तेल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) चंदन काष्ठ तेल से भारत में उत्पादित चंदन काष्ठ तेल अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षणों का आधार :—निर्यात के लिए आशयित चंदन काष्ठ तेल का निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) चंदन काष्ठ तेल का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन :—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार चंदन काष्ठ तेल के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले चंदन काष्ठ तेल का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार का संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा ।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

5. पैकिंग और चिन्हांकन :– (1) निर्यात के लिए चंदन काष्ठ तेल पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल /मुद्रित की जाएगी :–

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता ;

(ख) मद का नाम और किस्म ;

(ग) श्रेणी ;

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख ;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार ;

(च) भार का उत्पाद ;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान :–(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस :–अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी ।

टिप्पण :– निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ाकर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

8. अपील :–(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[फा.सं. 6/2/93-ई.आई.एण्ड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2270.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Sandalwood oil (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their puublication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Sandalwood oil" means the Sandwood oil produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Sandalwood oil intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Govtrnment under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Sandalwood oil shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Sandalwood oil as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Sandalwood oil to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Sandalwood oil for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency, which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days the date of its receipt.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2271.— भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व बकरी बाल का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 389 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-1994 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि बकरी बाल निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) बकरी बाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1960 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे बकरी बाल को लागू होगा ।

(3) बकरी बाल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1960 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में बकरी बाल के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यता-प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात आधा किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक बकरी बाल के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में, बकरी बाल से भारत में उत्पादित बकरी बाल अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा.सं. 6/2/93-ईआई एण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2271.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Goat Hair to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 389 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necesssary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Goat Hair shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Goat Hair, Grading and Marking Rules, 1960 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Goat Hair prior to export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Goat Hair, Grading and Marking Rules, 1960;

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Goat Hair to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial sample of Goat Hair not exceeding Half kilogramme in weight (nett).

(6) In this Order Goat Hair means Goat Hairs obtained from Goat and produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2272.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बकरी बाल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) बकरी बाल से, बकरी से अभिप्राप्त और भारत में उत्पादित बकरी बाल अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित बकरी बाल का निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :— (1) बकरी बाल का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ; और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बकरी बाल के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले बकरी बाल का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित देगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

5. पैकिंग और चिन्हांकन —(1) निर्यात के लिये बकरी बाल पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जायेगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मद का नाम और किस्म ;

(ग) श्रेणी;

(घ) खाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिये निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जायेगा जहां निरीक्षण के लिये माल पेश किये जाते है, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जायेगी ।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिये निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये, जहां ऐसी रकम में रुपये का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जायेगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिये जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किये जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जायेगी।

[फा.सं. 6/2/93-ई.आई.एण्ड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2272.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Goat Hairs (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Goat Hairs" means the Goat Hairs obtained from Goat and produced in India.

3. Basis of Inspection—Inspection of Goat Hairs intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection—(1) Any exporter intending to export Goat Hairs shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Goat Hairs as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Goat Hairs to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking—(1) An exporter intending to pack Goat Hairs for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages--

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days from the date of its receipt.

[File No. 6/2/93-EI&EP]
SUMA SUBBANNA, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2273—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये, निर्यात से पूर्व बीड़ी तम्बाकू की क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिये कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं 390 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किये गये थे।

और आक्षेप तथा सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गये थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 8-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि बीड़ी तम्बाकू निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) बीड़ी तम्बाकू श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1947, के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे बीड़ी तम्बाकू को लागू होगा।

(3) बीड़ी तम्बाकू श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1947 के अधीन बनाये गये श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में बीड़ी तम्बाकू के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिये प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात एक किलोग्राम शुद्ध भार से अधिक बीड़ी तम्बाकू के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में बीड़ी तम्बाकू से भारत में उत्पादित लाल जपोडिया या तम्बाकू की किस्म या बीड़ी तम्बाकू पत्तेदार अभिप्रेत है।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 6/2/93-ई आई एंड ई पी]
कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2273.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Bidi Tobacco to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 390 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions received from from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Bidi Tobacco shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Bidi Tobacco, Grading and Marking Rules, 1947 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Bidi Tobacco prior to export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Bidi Tobacco Grading and Marketing Rules, 1947.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Bidi Tobacco to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Bidi Tobacco not exceeding one kilogramme in weight (nett).

(6) In this Order Bidi Tobacco means Lal Chapodia or Judi Varieties of tobacco or bidi tobacco flacks produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2274—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीड़ी तंबाकू का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है,

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिये प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) बीड़ी तंबाकू से भारत में उत्पादित लाल चपोडिया या तंबाकू की जूडी किस्म या बीड़ी तंबाकू फ्लैक्स अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :

निर्यात के लिये आशयित बीड़ी तंबाकू का निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से गया कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) बीड़ी तंबाकू का निर्यात करने के लिये आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किये जाने के लिये आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिये आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किये जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जायेगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं हैं, निरीक्षण किये जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार बीड़ी तंबाकू के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किये जाने वाले बीड़ी तंबाकू का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित देगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

5. पैकिंग और चिह्नांकन.—(1) निर्यात के लिये बीडी तंबाकू पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जायेगी:

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता,

(ख) मदे का नाम और किस्म,

(ग) श्रेणी,

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख,

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार,

(च) भारत का उत्पाद,

(छ) पोत परिवहन चिह्न।

6. निरीक्षण का स्थान.—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिये निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जायेगा जहां निरीक्षण के लिये माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस.—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जायेगी।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिये निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये, जहां ऐसी रकम में रुपये का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जायेगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जायेगा।

8. अपील.—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिये जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किये जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कम-से-कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम-से-कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(3) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जायेगी।

[फा.सं. 6/2/93-ई.आई.एंड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्रमण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2274.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Bidi Tobacco (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Bidi Tobacco" means the Lal Chapodia or Judi Varieties of Tobacco or bidi tobacco flacks produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Bidi Tobacco intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection—(1) Any exporter intending to export Bidi Tobacco shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Bidi Tobacco as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Bidi Tobacco to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Bidi Tobacco for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter ;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fee at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection, may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-official.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File No. 6/2/93-EI&EP]
KUM. SUMA SUBBANNA, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2275:—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व पामरोजा तेल का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 391 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं

और उक्त प्रस्तावना के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

(1) यह अधिसूचित करती है कि पामरोजा तेल निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) वाष्पशील तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1954 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे पामरोजा तेल को लागू होगा ।

(3) वाष्पशील तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1954 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में पामरोजा तेल के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण पत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात दो सौ पचास ग्राम शुद्ध भार से अनधिक पामरोजा तेल वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में, पामरोजा तेल से भारत में उत्पादित पामरोजा तेल अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा० सं. 6/2/93-ई आई एण्ड ई पी

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2275.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Palmarosa Oil to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 391 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were inivited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publiation of the said Order in the Official Gazette.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do, fo the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Palmarosa Oil shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Essential Oil, Grading and Marking Rules, 1954 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Palmarosa Oil prior to export ;

(3) recognises the grade designation formulated under the Essential Oil Grading and Marking Rules, 1954 ;

(4) Prohibit the export, in the course of international trade of Palmarosa Oil unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Palmarosa oil not exceeding two hundred fifty grammes in weight (net t)

(6) In this Order Palmarosa Oil means Palmarosa Oil produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2276.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पामरोजा तेल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) पामरोजा तेल से भारत में उत्पादित पामरोजा तेल अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार—निर्यात के लिए आशयित पामरोजा तेल का निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) पामरोजा तेल का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए न अ(दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन:—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा और

(ख) ऐसे परिसरो में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पामरोजा तेल के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले पामरोजा तेल का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण का किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा ।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

5. पैकिंग और चिन्हांकन :—(1) निर्यात के लिए पामरोजा तेल पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मदे का नाम और किस्म ;

(ग) श्रेणी;

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार ;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हो ।

7. निरीक्षण फीस—अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण:—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परीक्षण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[फा. सं. 6/2/93-ई. आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2276.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Palmarosa Oil (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under Section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(d) "Palmarosa Oil" means the Palmarosa Oil produced in India.

3. Basis of Inspection—Inspection of Palmarosa Oil intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Palmarosa Oil shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency ; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment of Palmarosa Oil as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Palmarosa Oil to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking—(1) An exporter intending to pack Palmarosa Oil for export shall pack in standard packages of as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter ;

(b) Name of the item and variety ;

(c) Grade ;

(d) Lot number and date of packing ;

(e) Gross weight and net weight ;

(f) Product of India ;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed or the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI&EP]

SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2277.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात से पूर्व हरीतकी का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम II के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 392 तारीख 17 जनवरी 1994 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ,

अतः अब केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

(1) यह अधिसूचित करती है कि हरीतकी निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) हरीतकी श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1962 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे हरीतकी को लागू होगा ।

(3) हरीतकी श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1962 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में हरीतकी के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात एक किलोग्राम शुद्ध भार से अधिक हरीतकी के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में हरीतकी से भारत में उत्पादित हरीतकी अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 6/2/93—ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2277.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Myrobalans to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No S.O. 392, dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Myrobalans, shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Myrobalans, Grading and Marking Rules, 1962 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Myrobalans export ;

(3) recognises the grade designation formulated under the Myrobalans Grading and Marking Rules, 1962.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Myrobalans unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Myrobalans not exceeding one kilogramme in weight (gross).

(6) In this Order Myrobalans means Myrobalans produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[Fine No. 6/2/93-EI & EP]

M. SUMA SUBBANNA, Director.

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2278.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हरीतकी का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) हरीतकी से भारत में उत्पादित हरीतकी अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :

निर्यात के लिए आशयित हरीतकी का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) हरीतकी का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियां) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हरीतकी के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाली हरीतकी का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित देगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिह्नांकन—(1) निर्यात के लिए हरीतकी पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मंदे का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी;

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिह्न।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पात पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करण/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण : निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्यैक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य/गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा. सं. 6/2/93-ई.आई.एंड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2278.—In exercise of the powers conferred by Sub-section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Myrobalans (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires ,—

(a) "Act means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(d) "Myrobalans" means the Myrobalans produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Myrobalans intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Myrobalans shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an Officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the Office of the Agency ; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the Office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Myrobalans as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3, The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Myrobalans to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Myrobalans for export shall pack in standard packages of as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages :—

(a) Name and address of the exporter ;

(b) Name of the item and variety ;

(c) Grade ;

(d) Lot number and date of packing ;

(e) Gross weight and net weight ;

(f) Product of India ;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the permises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note :—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and it such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two third of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File No. 6/2/93-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2279.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व अखरोट का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 393 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी 1994 में प्रकाशित किए गए थे।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि अखरोट निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) अखरोट श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1963 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे अखरोट को लागू होगा।

(3) अखरोट श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1963 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुक्रम में अखरोट के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात ढाई किलोग्राम शुद्ध भार से अनाधिक अखरोट के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायु-मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, अखरोट से भारत में उत्पादित अखरोट अभिप्रेत है।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 6/2/93-ईआईएंड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2279.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Walnuts to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 393 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necesary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby:—

(1) notifies that Walnuts shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the types of inspection in accordance with the Walnut, Grading and Marking Rules, 1963 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Walnut prior to export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Walnut Grading and Marketing Rules, 1963.

(4) Prohibit the export, in the course of international trade of Walnut unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Walnut not exceeding two and half kilogramme in weight (nett).

(6) In this Order Walnut means walnut produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2280.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखरोट का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) अखरोट से भारत में उपादित अखरोट अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :

निर्यात के लिए आशयित अखरोट का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पादित अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) अखरोट का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अखरोट के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले अखरोट का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिदहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिह्नांकन—(1) निर्यात के लिए अखरोट पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;
(ख) मद का नाम और किस्म;
(ग) श्रेणी;
(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;
(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;
(च) भारत का उत्पाद,
(छ) पोत परिवहन चिह्न।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण : निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उस विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा. सं. 6/2/93-ई.आई. एंड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2280.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the export of Walnut (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act means the Export (Quality Control and Inspection" Act, 1963 (22 of 1963 ;

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(d) "Walnut" means the walnut produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Walnut intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4 Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Walnut shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted.

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Walnut as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Walnut to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5 Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Walnut for export shall pack in standard packages of as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stenciled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India ;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of exporters consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI&EP]

KM. SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2281—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व टेबल पोटैटो का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 394 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

(1) यह अधिसूचित करती है कि टेबल पोटैटो निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) टेबल पोटैटो श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे टेबल पोटैटो को लागू होगा ।

(3) टेबल पोटैटो श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में टेबल पोटैटो के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात 2 किलो ग्राम शुद्ध भार से अनधिक टेबल पोटैटो के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में, टेबल पोटैटो से भारत में उत्पादित टेबल पोटैटो अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. स. 6/2/93—ईआईएंडईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2281.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Table Potatoes to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 394 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994,

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Table Potatoes shall be subject to quality control and inspection prior to export:

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Table Potatoes, Grading and Marking Rules, 1964 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Table Potatoes export ;

(3) recognises the grade designation formulated under the Table Potatoes unless it conforms Rules, 1964.

(4) Prohibit the export, in the course of international trade of Table Potatoes unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Table Potatoes not exceeding two kilogramme in weight (Gross).

(6) In this Order Table Potatoes mean Table Potatoes produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-FI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2282 —केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम टेबल पोटैटो का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) टेबल पोटैटो से भारत में उत्पादित टेबल पोटैटो अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार— निर्यात के लिए आशयित टेबल पोटैटो का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और संचिह्नकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) टेबल पोटैटो का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार टेबल पोटैटो के परेषण का निरीक्षण स्वयं को यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले टेबल पोटैटो का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगी ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निधरिण करने का अधिकार होगा ।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

5. पैकिंग और चिन्हांकन;—(1) निर्यात के लिए टैबल पोटैटो पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेज पर स्टैंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता :

(ख) मदे का नाम और किस्म :

(ग) श्रेणी :

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख :

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार :

(च) भारत का उत्पाद :

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी ।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य/गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[फा. सं. 6/2/93—ई.आई एंड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बणा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

SO. 2282.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Table Potatoes (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under Section 7 of the Act or the agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(d) Table Potatoes means the Table Potatoes produced in India.

3. Basis of Inspection—Inspection of Table Potatoes intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection—(1) Any exporter intending to export Table Potatoes shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Table Potatoes as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Table Potatoes to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking—(1) An exporter intending to pack Table Potatoes for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter ;

(b) Name of the item and variety ;

(c) Grade ;

(d) Lot number and date of packing ;

(e) Gross weight and net weight ;

(f) Product of India ;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspetcion fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-FI&EP]
SUMA SUBBANNA, Director

1959 GI/94

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2283—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व पशु केसिंग का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 395, तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

(1) यह अधिसूचित करती है कि पशु केसिंग निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) पशु केसिंग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे पशु केसिंग को लागू होगा ।

(3) पशु केसिंग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में पशु केसिंग के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यता-प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात आधा किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक पशु केसिंग के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, पशु केसिंग से (गाय, भैंस) भेड़ बकरी और सुअर से अभिप्राप्त तथा भारत में उत्पादित पशु केसिंग अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 6/2/93-ईआई एंड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2283.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Animal Casings to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 395 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Animal casings shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Animal casings Grading and Marking Rules, 1964 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Animal casings prior to export;

(3) recognises the grade designation foranulated under the Animal Casings Grading and Marking Rules, 1964.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Animal Casings unless it conforms to the standard specifications applicable to it and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Animal casings not exceeding Half Kilogram in weight (gross).

(6) In this Order Animal casings means casing obtained from cattle (Cow, Bullalow) Sheep, Goats and pigs and produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 6|2|93-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2284.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु केसिंग का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) पशु केसिंग से (गाय, भैंस) भेड़, बकरी, और सुअर से अभिप्राप्त तथा भारत में उत्पादित पशु केसिंग अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :— निर्यात के लिए आशयित पशु केसिंग का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) पशु केसिंग का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पशु केसिंग के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले पशु केसिंग का परेषण नियम 3 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा।

(6) प्रसारीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निधारित करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिन्हांकन—(1) निर्यात के लिए पशु केसिंग पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी;—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मद का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी,

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस—अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा.सं. 6/2/93-ई.आई.एंड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2284.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Animals Casing (quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Animal casings" means the casings obtained from Cattle (Cow Buffallow), Sheeps, Goats and pigs and produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Animal casings intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Animal casings shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment, intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted :—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Animal casings as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Animal casings to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard speecifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Animal casing for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the bryer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages:—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

NOTE.—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2285.— भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व प्याज का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 396 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

(1) यह अधिसूचित करती है कि प्याज निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) प्याज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे प्याज को लागू होगा ।

(3) प्याज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 के अधीन बनाएं गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में प्याज के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात दो किलोग्राम शुद्धभार से अनधिक प्याज के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में प्याज से भारत में उत्पादित प्याज अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा.सं. 6/2/93-ईआई एण्ड ईपी)]

कुमारी सुमा सुब्बणा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2285.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Onion to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India. Part-II. Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce. No. S.O. 396, dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggections received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so do do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Onion shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Onion, Grading and Marking Rules, 1964 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Onion prior to export ;

(3) recognises the grade designation formulated under the Onion Grading and Marketing Rules, 1964 ;

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Onion, unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Onion not exceeding two kilogramme in weight (gross).

(6) In this Order Onion means onion produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2286.— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्याज का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) प्याज से भारत में उत्पादित प्याज अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :— निर्यात के लिए आशयित प्याज का निरीक्षण परिषद समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :— (1) प्याज का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्याज के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले प्याज का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात अभिकरण को किसी स्थान भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक रवानगी से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

5. पैकिंग और चिह्नांकन —(1) निर्यात के लिए प्याज पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता :
(ख) मद का नाम और किस्म ;
(ग) श्रेणी ;
(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख ;
(ङ) सकल भार और शुद्ध भार ;
(च) भारत का उत्पाद ;
(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान :— (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों से वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस—अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी ।

टिप्पण : निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

8. अपील :– (1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पेनल को, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगें, निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पेनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगें ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[फा.सं. 6/2/93-ई.आई. एण्ड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

SO. 2286.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Shrot title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Onion (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection ;

(d) "Onion" means the onion produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Onion intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Onion shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Onion as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Onion to be exported complies with the requirement of the specifications referred to in rule 3, it shall within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the acutal shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and Marking.—(1) An exporter intending to pack Onion for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages :—

(a) Name and address of the exporter ;

(b) Name of the item and variety ;

(c) Grade ;

(d) Lot number and date of packing ;

(e) Gross weight and net weight ;

(f) Product of India ;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note :—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File No. 6/2/93-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2287.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व तेंदु पत्ता का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय के आदेश सं. 397 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे ।

और आक्षेप तथा सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगें गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है.

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है :—

(1) यह अधिसूचित करती है कि तेंदू पत्ता निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा ।

(2) तेंदू पत्ता श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1963 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे तेंदू पत्ता को लागू होगा ।

(3) तेंदू पत्ता श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1963 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में तेंदू पत्ता के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यता-प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात दो किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक तेंदू पत्ता के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में, तेंदू पत्ता से भारत में उत्पादित तेंदू पत्ता अभिप्रेत है ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा.सं. 6/2/93-ई आइ एण्ड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2287.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Tendu leaves to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 397 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 28-2-1994 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(a) notifies that Tendu leaves shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Tendu (*bidi* wrapper) Leaf Grading and Marking Rules, 1963 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Tendu leaves export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Tendu leaves Grading and Marking Rules, 1963.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Tendu Leaves unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Tendu leaves not exceeding two kilogrammes in weight (net).

(6) In this Order Tendu leaves means Tendu leaves produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2288 :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेंदू-पत्ता का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) तेंदू पत्ता से भारत में उत्पादित तेंदू पत्ता अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :—

निर्यात के लिए आशयित तेंदू पत्ता का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4 निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) तेंदू पत्ता का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केंद्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तेंदू पत्ता के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले तेंदू पत्ता का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यातयोग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता तो है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित देगा।

(6) प्रभारीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिन्हांकन :—(1) निर्यात के लिए तेंदू पत्ता पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मद का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी.

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख

(ङ.) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उसमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस :—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील :—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फा.सं. 6/2/93-ई.आई.एण्ड ई.पी.]

कुमारी सुभा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2288.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Tendu leaves (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorsed on his behalf for inspection;

(d) "Tendu leaves" means the Tendu leaves produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Tendu Leaves intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection—(1) Any exporter intending to export Tendu leaves shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receeipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Tendu leaves as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Tendu leaves to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking—(1) An exporter intending to pack Tendu leaves for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor exporter under consignmentwise inspection.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI&EP]

SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2289—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व वैटरीवस का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 398 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी 1994 में प्रकाशित किए गए थे ;

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि वैटरीवल तेल निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) वैटरीवल तेल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1954 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे वैटरीवल तेल को लागू होगा।

(3) वैटरीवल तेल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1954 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में वैटरीवल के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात पचास ग्राम शुद्ध भार से अनधिक वैटरीवल के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, वैटरीवल से भारत में उत्पादित वैटरीवल अभिप्रेत है।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 6/2/93 — ई. आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2289.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Oil of Vetrivel to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 398 dated 17th January, 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Oil of Vetrivel shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with Oil of Vetrivel, Grading and Marking Rules, 1954 as the type of quaality control and inspection which shall be applied to such export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Oil of Vetrivel Grading and Marketing Rules, 1954;

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Oil of Vetrivel to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Oil of Vetrivel not exceeding fifty gramme in weight (nett).

(6) In this Order Oil of Vetrivel means Oil of Vetrivel produced in India.

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6/2/93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2290—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वैटरीवल तेल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) वैटरीवल तेल से भारत में उत्पादित वैटरीवल तेल अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार : निर्यात के लिए आशयित वैटरीवल तेल का निरीक्षण परिषद द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परिषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) वैटरीवल तेल का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिअरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों) में प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार वैटरीवल तेल के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले वैटरीवल तेल का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निधारिण करने का अधिकार होगा।

(7) इस प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. पैकिंग और चिन्हांकन —(1) निर्यात के लिए वैटरीवल तेल पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टैंसिल मुद्रित की जाएगी —

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता ;

(ख) मदों का नाम और किस्म ;

(ग) श्रेणी;

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख ;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार

(च) भारत का उत्पाद ;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह।

6. निरीक्षण का स्थान — (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस — अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी।

टिप्पण :— निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपए का एक भाग है, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

8. अपील —(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर, अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी, दी जाएगी।

[फा. सं. 6/2/93—ई आई एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2290.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Oil of Vetrivel Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(v) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Oil of Vetrivel" means the Oil of Vetrivel produced in India.

3 Basis of Inspection.—Inspection of Oil of Vetrivel intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Oil of Vertivel shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this

behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Oil of Vetrivel as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Oil of Vetrivel to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as export-worthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specification at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack Oil of Vetrivel for export shall pack in standard packages of as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/printed on the packages—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Insptction.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note.—The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI&EP]

SUMA SUBBANNA, Director.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2291.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, निर्यात से पूर्व वनस्पति तेल का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण नियम 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 399 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किए गए थे।

और आक्षेप तथा सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण) और निरीक्षण अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि वनस्पति तेल निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1955 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे वनस्पति तेल को लागू होगा ।

(3) वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1955 के अधीन बनाए गए श्रेणीकरण अभिधान को मान्यता देती है ।

(4) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में वनस्पति तेल के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यताप्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(5) इस आदेश की कोई भी बात अनुसूची में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेल के दो किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक वाणिज्यिक नमूने समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(6) इस आदेश में, वनस्पति तेल से अनुसूची में विनिर्दिष्ट और भारत में उत्पादित वनस्पति तेल अभिप्रेत है ।

अनुसूची

1. एरंडी तेल 2. मूंगफली का तेल 3. अलसी का तेल 4. बिनौला तेल 5. सूरजमुखी का तेल ।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 6/2/93 ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2291.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Vegetable Oil to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 399 dated 17th JAN., 1994.

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28-2-1994.

And whereas the objections & suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Vegetable Oil shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Vegetable Oil, Grading and Marking Rules, 1955 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Vegetable Oil prior to export ;

(3) recognises the grade desiguation formulated under the Vegetable Oil Grading and Marking Rules, 1955.

(4) prohibit the export, in the course of international trade of Vegetable Oil unless it confirms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Vegetable Oil as specified in the Schedule not exceeding two kilogrammes in weight (net.).

(6) In this Order Vegetable oil means the oils specified in the schedule and produced in India :—

SCHEDULE

1. Caster oil
2. Ground Nut oil
3. Linseed oil
4. Cotton Seed oil
5. Sunflower oil

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6|2|93-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का. आ. 2292.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) परिषद् से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता-प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) वनस्पति तेल से ऐसा तेल अभिप्रेत है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट और भारत में उत्पादित है ,

अनुसूची

(1) एरंडी का तेल (2) मूंगफली का तेल (3) अलसी का तेल (4) तिलीला का तेल (5) सूरजमुखी का तेल ।

3. निरीक्षण का आधार —

निर्यात के लिए आशयित वनस्पति तेल का निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उसका प्रसंस्करण पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :— (1) वनस्पति तेल का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को या अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं हैं, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार वनस्पति तेल के परेषण का निरीक्षण स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है । निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(4) यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले वनस्पति तेल का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित देगी ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान भंडारकरण अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा ।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा ।

5. पैकिंग और चिह्नांकन—(1) निर्यात के लिये वनस्पति तेल पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जायेगी —

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मदे का नाम और किस्म ;

(ग) श्रेणी;

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिये निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहीं किया जायेगा जहां निरीक्षण के लिये माल पेश किया जाते है परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस—

अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जायेगी ।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिये निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये जहां ऐसी रकम में रुपये का एक भाग है वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जायेगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जायेगा ।

8. अपील—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिये जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता ऐसे इंकार किये जाने से दस दिन के भीतर अपील उक्त अभिकरण को करेगा जो उसे विशेषज्ञों के पैनल को जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल को कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जायेगी ।

[फा. सं. 6/2/93-ईआई एण्ड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्रह्मण्या, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2192.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Vegetable oil (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Vegetable oils" means the oils as specified in the schedule and produced in India ;

SCHEDULE

(1) Caster Oil

(2) Ground Nut Oil

(3) Linseed Oil

(4) Cotton Seed Oil

(5) Sunflower Oil

3. Basis of Inspection

Inspection of Vegetable Oils intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection.—(1) Any exporter intending to export Vegetable oil shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Vegetable oil as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Vegetable oil to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, it shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking—(1) An exporter intending to pack Vegetable oil for export shall pack in standard packages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/ printed on the packages —

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of there rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f. o. b. value of the consignment shall be collected by the Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignmentwise inspection.

Note: The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount con-

tains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

8. Appeal—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File 6/2/93-EI&EP]
SUMA SUBBANNA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

का.आ. 2193.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये, निर्यात से पूर्व दालों का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिये कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 400 तारीख 17 जनवरी, 1994 के अधीन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 5 फरवरी, 1994 में प्रकाशित किये गये थे।

और आक्षेप तथा सुझाव, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मांगे गये थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 28-2-94 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और उक्त प्रस्तावों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

(1) यह अधिसूचित करती है कि दालें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी।

(2) दालें श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार के रूप में निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसी दालों को लागू होगा।

(3) दालें श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964 के अधीन बनाये गये श्रेणीकरण अभिचिह्न को मान्यता देती है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में दालों के निर्यात को तब तक अधिसूचित करती है जब तक कि वह उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप न हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिये प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो।

(5) इस आदेश की कोई भी बात 2 किलोग्राम शुद्ध भार से अनधिक ऐसी दालों के जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं के वाणिज्यिक नमूने के समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी।

(6) इस आदेश में, दालों से अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत में उत्पादित दालें अभिप्रेत हैं।

अनुसूची

1. मूंग (साबुत, छिलका सहित और दली हुई है)
2. उड़द—
(क) साबुत, छिलका रहित और दली हुई,
(ख) छिलका वाली दली हुई।
3. अरहर (साबुत, छिलका सहित और दली हुई है)
4. लेंटिल (मसूर) साबुत, छिलका सहित और दली हुई है)
5. मटकी या मोठ (साबुत, छिलका सहित और दली हुई)
6. बेंगल चना, चना (साबुत छिलका सहित और दला हुआ)।

(7) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 6/2/93-ईआई एण्ड ईपी]
कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2193.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Pulses to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 5th February, 1994 under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 400 dated 17th January, 1994.

And whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the publiction 28-2-94.

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby :—

(1) notifies that Pulses shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of inspection in accordance with the Pulses, Grading and Marking Rules, 1964 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such pulses prior to export;

(3) recognises the grade designation formulated under the Pulses Grading and Marketing Rules, 1964

(4) Prohibit the export, in the course of international trade of Pulses unless it conforms to the standard specifications applicable to it, and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection or by any of the Export Inspection Agencies established or by any agency recognized under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(5) Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of Pulses as specified in the Schedule not exceeding two Kilogramme in weight (nett.).

(6) In this Order Pulses means the Pulses specified in the schedule and produced in India :—

SCHEDULE

1. Green Gram (whole, husked and split),

2. Black Gram —
   (a) Whole, husked and split;
   (b) Unhusked split

3. Red Gram (Whole, husked and split);

4. Lentil (Masoor) (Whole husked and split);

5. Malti or Moth (Whole, husked and split);

6. Bengal Gram (Whole, husked and split)

(7) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 6|2|93-EI&EP]
KUMARI SUMAN SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त 1994

का०आ० 2294—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दालों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसकी ओर से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(घ) "दालें" से आदेश की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट और भारत में उत्पादित दालें अभिप्रेत हैं।

अनुसूची

1. मूंग (साबुत, छिलका, सहित और दली हुई है)

2. उड़द—

   (क) साबुत, छिलका रहित और दली हुई,

   (ख) छिलका वाली दली हुई।

3. अरहर (साबुत, छिलका सहित और दली हुई है)

4. लेंटिल (मसूर), (साबुत, छिलका सहित और दली हुई)

5. मटकी या मोठ (साबुत, छिलका सहित और दली हुई)

6. बेंगल चना, चना (साबुत, छिलका सहित और दला हुआ)

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित दालों का निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक परेषण का नमूना लेकर और परीक्षण करके यह देखने के उद्देश्य से किया जाएगा कि उनका प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारकरण अभिकरण द्वारा अनुमोदित एककों में किया गया है और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) दालों का निर्यात करने के लिए आशयित कोई निर्यातकर्ता निकटतम अभिकरण को अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की विशिष्टियां देते हुए, निरीक्षण के लिए आवेदन (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन—

(क) ऐसे परिसरों में जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित हैं निरीक्षण किए जाने से कम से कम दो दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और

(ख) ऐसे परिसरों में, जो अभिकरण के कार्यालय के उसी केन्द्र में अवस्थित नहीं है, निरीक्षण किए जाने से कम से कम दस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दालों के परेषण का निरीक्षण स्वयं या यह समाधान करने की दृष्टि से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत और पैक किया गया है। निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह ऐसा निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(4) यदि, निरीक्षण के पश्चात्, अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले दालों का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो वह सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(5) यदि अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा और निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार की संसूचना लिखित रूप में उसके कारणों सहित होगा ।

(6) प्रमाणीकरण के पश्चात् अभिकरण को किसी स्थान, भंडारकरण, अभिवहन में या वास्तविक लदाई से पूर्व पत्तनों पर परेषण की क्वालिटी का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा ।

(7) इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण के मानक विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, मूलतः जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा ।

5. पैकिंग और चिह्नांकन :—(1) निर्यात के लिए दालें पैक करने के आशयित कोई निर्यातकर्ता मानक पैकेजों में या क्रेता की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पैक करेगा ।

(2) निम्नलिखित जानकारी पैकेजों पर स्टेंसिल/मुद्रित की जाएगी :—

(क) निर्यातकर्ता का नाम और पता;

(ख) मद का नाम और किस्म;

(ग) श्रेणी;

(घ) लाट संख्यांक और पैकिंग की तारीख;

(ङ) सकल भार और शुद्ध भार;

(च) भारत का उत्पाद;

(छ) पोत परिवहन चिन्ह ।

6. निरीक्षण का स्थान :—(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ताओं के परिसरों में वहां किया जाएगा जहां निरीक्षण के लिए माल पेश किए जाते हैं, परन्तु यह तब जब कि उनमें निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

7. निरीक्षण फीस :—अभिकरण द्वारा परेषणानुसार निरीक्षण में, निरीक्षण फीस के रूप में परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए, प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता से वसूल की जाएगी ।

टिप्पण :—निर्यातकर्ता द्वारा संदेय प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपये का ऐसा भाग है जहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है तो, उसे बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

8. अपील :—(1) अभिकरण द्वारा निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिए जाने से व्यथित कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इंकार किए जाने से दस दिन के भीतर अपील उक्त अभिकरण को करेगा, जो उसे विनिर्देशों के पैनल को, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन व्यक्ति और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे निर्दिष्ट करेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[फा०सं० 6/2/93-ई०आई०एण्ड ई०पी०]

कुमारी सुमा सुब्रह्मण्या, निदेशक

New Delhi, the 24th August, 1994

S.O. 2294.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules, may be called the Export of Pulses (Quality Control and Inspection) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these Rules unless the context otherwise requres,

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the Act or the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or any other officer authorised on his behalf for inspection;

(d) "Pulses" means the Pulses as specified in the Schedule of the Order and produced in India.

SCHEDULE

1. Green Gram (whole, husked and split)
2. Black Gram—(a) Whole, husked and split; (b) Unhusked split.
3. Red Gram (whole, husked and split);
4. Lentil (Masoor) (whole, husked and split);
5. Matki or Moth (whole, husked and split);
6. Bengal Gram (whole, husked and split).

3. Basis of Inspect ion—Inspection of Pulses intended for export shall be carried out with a view to see that the same has been processed, packed and stored in units approved by the Agency and that the product conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, by sampling and testing of each consignment by the Agency as per instructions issued by the Council from time to time.

4. Procedure of Inspection—(1) Any exporter intending to export Pulses shall submit an application for inspection (in duplicate) to the nearest Agency, or an officer of the Agency authorised in this behalf by the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported.

(2) An application under sub-rule (1) shall be submitted,—

(a) not less than two days before the inspection to be carried out at the premises situated at the same station to the office of the Agency; and

(b) not less than ten days before the inspection to be carried out at the premises which are not situated at the same station to the office of the Agency.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Pulses as per the instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time, with a view to satisfy itself that the consignment has been graded and packed in accordance with Rule 3, The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of Pulses to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, in shall, within seven days of the receipt of information, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

(5) When the Agency is not so satisfied, it shall, within the said period of seven days, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter in writing alongwith the reasons thereof.

(6) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to reassess the quality of the consignment at any place, storage, in transit, or at the ports before the actual shipment.

(7) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

5. Packing and marking.—(1) An exporter intending to pack pulses for export shall pack in standard pakages or as per specific requirements of the buyer.

(2) The following information shall be stencilled/ printed on the packages :—

(a) Name and address of the exporter;

(b) Name of the item and variety;

(c) Grade;

(d) Lot number and date of packing;

(e) Gross weight and net weight;

(f) Product of India;

(g) Shipping Mark.

6. Place of Inspection.—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided that adequate facilities exist therein for inspection.

7. Inspection fees.—Subject to a maximum fees at the rate of 0.4 per cent of the f.o.b. value of the consignment shall be collected by he Agency, as inspection fee, from the processor/exporter under consignment-wise inspection.

NOTE : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and. for this purpose where such amount contains a part of a rupee, then if such a part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise. it shall be ignored.

8. Appeal.—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within ten days of such refusal prefer an appeal to the said Agency which shall refer the same to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by Central Government.

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days from the date of its receipt.

[File No. 6/2/93/EI & EP]
KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1994

का. आ. 2295.—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मुहरांकन शुल्क जिसे पहले भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था, उसे स्तम्भ 7 और 8 में नीचे दी गई अनुसूची में विभिन्न उत्पादों के अधीन स्तम्भ 2 और 3 में दिखाया गया है उसे पुनरीक्षित किया गया है और वहां स्तम्भ 4, 5 और 6 जोड़ा गया है :

अनुसूची

क्रम	उत्पाद	आईएस : सं और वर्ष	इकाई	मुहरांकन शुल्क की दर प्रति इकाई	इकाई के लिए	भारत के राजपत्र का संदर्भ जिसमें अतिक्रमित या आंशिक परिवर्तन किया गया है: एसओ नं. दिनांक	एसओ नं. दिनांक	भारत के राजपत्र में छपने की तिथि	प्रभावी तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	चमड़े के पंप के डोल के लिए वनस्पति से तैयार सिझाया (कमाना) हुआ चमड़ा	आईएस 1015-1987	100 नग	51.500	सभी	—	3423 1990-11-20	1990-12-22	93-04-01
2.	इथाइलीन ब्रोमाइड	आईएस : 1311-1966	एक टन	20.000	सभी	—	--वही--	--वही--	--वही--
3.	इंजीनियरी प्रयोजनों	आईएस : 1337-1980	एक वर्ग मीटर की सेल	5.000	सभी	--	1530	1990-04-26	
4.	2, 4-डी का द्रव अमीन एमएल लवण	आईएस : 1827-1989	एक टन	200.000	सभी	--	3423	1990-12-22	—वही—
5.	जर्दा फ्लैक टाइप, खाने वाला तम्बाकू	आईएस:2344-1973	एक किग्रा	0.250	सभी	—	—वही—	—वही—	वही
6.	स्थिरीकृत मिथो क्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड सान्द्र पर आधारित फार्मूलेशन	आईएस : 2358-1984	एक टन	100.000	सभी	--	--वही--	--वही--	--वही--
7.	ईंधन निकालने के लिए रबड़ के होज	आईएस : 2396-1981	100 मी.	15.000	सभी	—	1540 1990-05-01	1990-06-02	--वही—
8.	द्रव घनत्व मापी, भाग 1 अपेक्षाएं	आईएस : 3104 (भाग 1)—1982	एक नग	0.200	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	--वही—
9	तकनीकी ग्रेड अवक्षिप्त बेरियम कार्बोनेट	आईएस : 3205-1984	एक टन	5.000	सभी	--	3423 1990-11-20	1990-12-22	---वही—
10.	आर्गेनो मरकरी का बीजों के शुष्क उपचार के फार्मूलेशन	आईएस : 3284-1984	एक टन	40.000	सभी	—	---वही--	--वही---	--वही--
11.	जल वाष्पन वाले हवा के कूलर (डेजर्ट कूलर)	आईएस : 3315-1974	एक नग	5.000	सभी	——	1229 1990-08-01	1990-08-25	—वही--
12.	अव. स्वर्च.य सुइयां	आईएस : 3317-1983	1000 नग	6.000	सभी		2680 1990-09-18	1990-10-13	—वही—
13.	चांदी कृत कांच के आइने सामान्य कार्यों के लिए	आईएस : 3438-1977	एक वर्ग मीटर	0.070	सभी	—	3423 1990-11-00	1990-12-22	—वही--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.	चक्का (डिमकस)	आईएस : 4142—1967	एक चक्का	0.390	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	1993-04-01
15.	प्रसाधन का तरल साबुन	आईएस : 4199-1974	एक किग्रा./लि.	25.00	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—
16.	इंडोसल्फान ईसी सकर्मकों	आईएस : 4344-1978	एक टन	100.000	सभी	—	3423 1990-11-20	1990-12-22	1993-04-01
17.	केलेंडरों के लिए ब्रुश	आईएस : 4517—1986	एक नग	0.040	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-6-15	1993-04-01
18.	जिंक आक्साइड के स्वतः आसंजी प्लास्टर	आईएस : 4717-1980	100 वर्ग मीटर	4.000	सभी	—	2229 1990-08-01	1990-08-25	—वही—
19.	बीज उपचारण के लिए थायरम फार्मूलेशन	आईएस : 4783-1982	एक टन	40.000	सभी	—	3423 1990-11-20	1990-12-22	—वही—
20.	घरेलू कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर	आईएस : 4955-1983	एक टन	5.000	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	—वही—
21.	बाहरी मज़ावटी बत्तियां	आईएस : 5077-1969	एक नग	0.150	सभी	—	2418 1990-08-21	1990-09-15	—वही—
22.	सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी ग्रेड	आईएस : 5380	एक किग्रा.	0.100	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	—वही—
23.	मैथाइल पालिश द्रव	आईएस : 5487-1969	एक कि.लि.	30.000	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—
24.	ठोस संचकित रबड़ के तल्ले और एड़ी	आईएस : 5676-1987	एक जोड़ी	0.050	सभी	—	3423 1990-11-20	1990-12-22	—वही—
25.	खाद्य ग्रेड इथाइलीन ग्लाकोल प्रतिहिमन (एंटीफ्रीज)	आईएस : 5739—1970	एक लिटर	0.150	सभी	—	1531 1990-04-24	1990-06-02	1993-04-01
26.	एकल गठन वाला रबड़चढ़ा जलसह कपड़ा	आईएस : 5915—1970	100 वर्ग मीटर	4.000	सभी	—	1539 1990-04-26	1990-06-02	—वही—
27.	एल्गीनेट द्रुत छाप सामग्री	आईएस : 6036—1987	एक किग्रा.	0.500	सभी	—	3423 1990-11-20	1990-12-22	—वही—
28.	सामग्री परिवहन के लिए पॉलीथीन के आधान	आईएस : 6312 : 1980	एक कि. लिटर लिटर	15.000	सभी	—	1540 1990-05-01	1990-06-02	—वही—
29	भारी दरवाजों के लिए फर्श कमानियां (द्रवचालन द्वारा नियंत्रित)	आईएस : 6315—1986	एक नग	3.000	सभी	—	1539 1990-04-26	1990-06-02	—वही—
30.	चूड़ियां और बग़लगस	आईएस : 6747—1981	एक टन	30.000	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	—वही—
31.	इस्पात के घरेलू ट्रंक	आईएस : 7527-1973	एक नग	0.300	सभी	—	2229 1990-08-01	1990-08-25	—वही—
32.	विक्स द्रव धनत्वमापी	आईएस : 7324	एक नग	0.200	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	—वही—
33.	विस्फोटकों और आतिश बाजी के लिए पैराफिन मोम	आईएस : 7401—1987	एक टन	8.000	सभी	—	3423 1990-11-20	1990-12-22	—वही—
34.	पेयजल के लिए फिल्टर	आईएस : 7402—1986	एक नग	0.200	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35.	मृदु साबुन	आईएस : 7532—1974	एक टन	20.000	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	1993-04-01
36.	घरेलू कपड़े धुलाई के लिए डिटर्जेंट की टिकिया	आईएस : 8180—1982	एक टन	150.000	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—
37.	मोटरवाहन के द्रवचालित ब्रेक के लिए द्रव, हैवीड्यूटी	आईएस : 8654—1986	एक किलो लिटर	50.000	सभी	—	2229 1990-08-01	1990-08-25	—वही—
38.	क्लोरोमीक्वेट क्लोराइड जलीय विलयन	आईएस : 8962—1978	100 लिटर	40.000	सभी	—	3423 1990-11-20	1990—12—22	—वही—
39.	झूला पुलों के लिए तार रस्सी और लड़ें	आईएस : 9282—1979	एक टन	50.000	सभी	—	2229 1990-08-01	1990-08-25	—वही—
40.	दानेदार ब्यूटाकलार	आईएस : 9362—1980	एक टन	20.000	सभी	—	3423 1990-11-20	1990-12-22	—वही—
41.	दानेदार डिकेम	आईएस : 9370—1990	एक टन	50.000	सभी	—	1540 1990-05-01	1990-06-02	—वही—
42.	संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए गोल मुंह वाले स्वास्थ्यकर, भाग 1 टिन प्लेट अपेक्षाएं	आईएस : 9396 (भाग 1) 1987	एक टन	2.000	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—
43.	उच्चदाब सोडियम वाष्प लैम्प भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण	आईएस : 9974 (भाग 1)	एक नग	1.000	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—
44.	650 वोल्ट एसी से अनधिक वायुरोक के लिए स्विच और स्थिर बाल टाइप प्लग सॉकेट इकाई	आईएस : 10027—1981	एक नग	0.500	सभी	—	2418 1990-08-21	1990-09-15	1993-04-01
45.	वनस्पति एवं खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा. के चौकोर टिन	आईएस : 10325—1989	एकटिन	0.050	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	—वही—
46.	घी, वनस्पति, खाद्य तेलों और बेकरी चिकनाई के लिए 15 किग्रा. के चौकोर टिन	—वही—	1000	1.000	सभी	+014	— 1988-01-29	1988-04-02	—वही—
47.	बाल रंगने का पाउडर	आईएस : 10350—1982	एक किग्रा.	0.750	सभी	—	1540 1990-05-01	1990-06-02	—वही—
48.	घंटी के इकहरी लाइन सर्किट के लिए प्राथमिक निजता निरापद ट्रांसफार्मर	आईएस : 10406—1983	एक नग	3.000	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—
49.	वनस्पति पैकिंग हेतु ब्लो संचालित एचडीपीई आधान	आईएस : 10840—1986	100 नग	2.00	सभी	—	2680 1990-09-18	1990-10-13	—वही—
50.	वर्दी के लिए पॉलिएस्टर मिश्रित सूट का कपड़ा	आईएस : 11248—1985	एक वर्गमी.	0.060	सभी	—	2226 1990-08-01	1990-08-25	—वही—
51.	डेजर्ट कूलर के लिए पंपसेट	आईएस : 11951—1987	एक पंपसेट	0.500	सभी	—	—वही—	—वही—	—वही—
52.	तकनीकी ग्रेड आइसोप्रोटुरॉन	आईएस : 12004—1987	एक टन	50.000	सभी	—	1539 1990-04-26	1990-06-02	1993-04-01
53.	जेट अपकेन्द्री पंप संयोजन की तकनीकी अपेक्षाएं	आईएस : 12225—1987	एक पंप	5.000	सभी	—	1540 1990-05-01	1990-06-02	—वही—

[सं. के. प्र. वि. 13 : 10]

एन. श्रीनिवासन, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 10th August, 1994

S.O. 2295 :—The Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the marking fees as notified earlier in Part-II Section-3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, shown in Col. 7 or 8 of the schedule given hereunder, in respect of the various products shown under Col. 2 and 3 of the same Schedule have been revised as mentioned in Col. 4, 5 and 6 thereof.

SCHEDULE

Sl. No.	Product	IS : No. & Year	Unit	Marking Fee Rate Per Unit Rs. P.	For Unit	Reference of Govt. of India, Gazette Notification Partially Superseded S.O. No. and Date	Modified S.O. No. and Date	Date of Issue of Gazette of India	Date of Effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Leather pump buckets made from vegetable tanned leather	IS : 1015—1987	100 Pieces	1.500	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	1993-04-01
2.	Ethylene dibromide	IS : 1311—1966	One Tonne	20.000	All	..	-do-	-do-	-do-
3.	Electroplated coatings of hard- chromium coatings on iron and steel.	IS : 1337—1980	One Square meter plated area	5.000	All	..	1539 1990-04-26	1990-06-02	-do-
4.	Dimethyl amine SL salts of 2, 4-D.	IS : 1827—1989	One Tonne	200.000	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
5.	Chewing tobacco, zarda flake type	IS : 2344—1973	One kg	0.250	All	..	-do-	-do-	-do-
6.	Formulation based on stabilized methoxy ethyl mercurychloride	IS : 2358—1984	One Tonne	100.000	All	..	-do-	-do-	-do-
7.	Rubber hose for fuel dispensing	IS : 2396—1981	100 Metre	15.000	All	..	1540 1990-05-01	1990-06-02	-do-
8.	Density hydrometers : Part 1 requirements	IS : 3104 (Part 1)-1982	One Piece	0.200	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
9.	Precipitated barium carbonate, technical	IS : 3205—1984	One Tonne	5.000	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
10.	Organo mercurial dry seed dressing formulations	IS : 3284—1984	-do-	40.000	All	..	-do-	-do-	-do-
11.	Evaporative air coolers (desert coolers)	IS : 3315—1974	One piece	5.000	All	..	2229 1990-08-01	1990-08-25	-do-
12.	Needles hypodermic	IS : 3317—1983	10000 Pieces	6.000	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
13.	Silvered glass mirrors for general purposes	IS : 3438—1977	One Sq. M.	0.020	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
14.	Discus	IS : 4142—1967	One Discus	0.300	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
15.	Liquid toilet soap	IS : 4199—1974	OneK/Litre	25.00	All	..	-do-	-do-	-do-
16.	Endosulfan, EC technical	IS : 4344—1978	One Tonne	100.00	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
17.	Brush welder's	IS : 4517—1986	One Piece	0.040	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
18.	Zinc oxide self-adhesive plaster	IS : 4717—1980	100 Sq. M.	4.000	All	..	2229 1990-08-01	1990-08-25	-do-
19.	Thiram seed dressing formulations	IS : 4783—1982	One Tonne	40.000	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20.	Household laundry detergent powders.	IS : 4955—1983	One Tonne	5.000	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	1993-04-01
21.	Decorative lighting outfits	IS : 5077—1969	One piece	0.150	All	..	2418 1990-08-21	1990-09-15	-do-
22.	Sodium bromide photographic grade	IS : 5380—1976	One Kg	0.100	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
23.	Metal polish liquid	IS : 5487 –1969	One K. Litre	30.000	All	..	-do-	-do-	-do-
24.	Moulded solid rubber soles and heels	IS : 5676—1987	One pair	0.050	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
25.	Specification for ethylene glycol anti-freeze	IS : 5759—1970	One Litre	0.150	All	..	1531 1990-04-24	1990-06-02	-do-
26.	Single texture rubbersised water proof fabrics	IS : 5915—1970	100 Sq. M.	4.000	All	..	1539 1990-04-25	1990-06-02	-do-
27.	Alginate dental impression material	IS : 6036—1987	One kg	0.500	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
28.	Polyethylene containers for the transport of material	IS : 6312—1980	One K/ Litre	15.000	All	..	1540 1990-05-01	1990-06-02	-do-
29.	Specification for floor springs (hydraulically regulated) for heavy doors	IS : 6315—1986	One Piece	3.000	All	..	1539 1990-04-26	1990-06-02	-do-
30.	Chewing gum and bubble gum	IS : 6747—1981	One Tonne	30.000	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
31.	Trunks, steel, domestic	IS : 7257—1973	One Piece	0.300	All	..	2229 1990-08-01	1990-08-25	-do-
32.	Brix hydrometers	IS : 7324—1983	-do-	0.200	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
33.	Paraffin wax for explosive and pyrotechnic industry	IS : 7401—1987	One Tonne	8.000	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
34.	Filters for drinking water purposes	IS : 7402—1986	One Piece	0.200	All	..	-do-	-do-	-do-
35.	Soft soap	IS : 7532—1974	One Tonne	20.000	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
36.	Household laundry detergent bars	IS : 8180—1982	-do-	15.000	All	..	-do-	-do-	-do-
37.	Automotive hydraulic brake fluid heavy duty	IS : 8654—1986	One K/Litre	50.000	All	..	2229 1990-08-01	1990-08-25	-do-
38.	Chlormequat chloride, aqueous solutions	IS : 8962—1978	100 Litre	40.000	All	..	3423 1990-11-20	1990-12-22	-do-
39.	Wire ropes and strands for suspension bridges	IS : 9282—1979	One Tonne	50.000	All	..	2229 1990-08-01	1990-08-25	-do-
40.	Butachlor granules	IS : 9362—1980	-do-	20.000	All	..	3423 1990-01-20	1990-12-22	-do-
41.	Lindane granules	IS : 9370—1980	-do-	50.000	All	..	1540 1990-05-01	1990-06-02	-do-
42.	Round open top sanitary cans for processed foods Part 1 Tinplate requirements	IS : 9396 (Part 1)—1987	-do-	2.000	All	..	-do-	-do-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
43.	High pressure sodium vapour lamps Part 1 General requirements and tests	IS : 9974 (Part 1) —1981	One Piece	1.000	All	..	1540 1290-05-01	1990-06-02	1993-04-01
44.	Composite units of air break switches and rewirable type fuses for voltages not exceeding 650 volts AC	IS : 10027—1981	One Piece	0.500	All	2418 ..	2418 1990-08-21	1990-09-15	-do-
45.	15-kg-square tins for vanaspati and edible oils	IS : 10325—1989	One Tin	0.050	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
46.	Square tins-15 kg for ghee, vanaspati edible oils and bakery shortening	-do-	1000 Closures	1.000	All	1014 1988-01-20	..	1988-04-02	-do-
47.	Powder hair dyes	IS : 10350-1—1982	One kg	0.750	All	..	1540 1990-05-01	1990-06-02	-do-
48.	Intrinsically safe transformers primarily for bell signalling circuits	IS : 10406—1983	One Piece	3.000	All	..	-do-	-do-	-do-
49.	Blow moulded HDPE containers for vanaspati	IS : 10840—1986	100 Pieces	2.000	All	..	2680 1990-09-18	1990-10-13	-do-
50.	Polyester blend suitings for uniforms	IS : 11248—1985	One Sq. M.	0*060	All	..	2229 1990-08-01	1990-08-25	-do-
51.	Pumpset for desert coolers	IS : 11951—1987	One Pumpset	0.500	All	..	-do-	-do-	-do-
52.	Isoproturon, technical	IS : 12004—1987	One Tonne	50.000	All	..	1539 1990-04-26	1990-06-02	-do-
53.	Specification for jet centrifugal pump combination	IS : 12225—1987	One Pump	5.000	All	..	1540 1990-05-01	1990-06-02	-do-

[No. CMD/13 : 10]
N. SRINIVASAN, Addl. Director General

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1994

का.आ. 2296—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में मार्डर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. के रांची यूनिट को जिसके 80% कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है ।

[संख्या ई-12011/10/94-हिन्दी]
कुमार भाटिया, चीफ इंजीनियर

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi, the 22nd August, 1994

S.O. 2296.—In pursuance of sub-rule (4) of rule (10) of the Official Languages (use for official purposes of the union) the Central Government hereby notifies the Ranchi Unit of Modern Food Industries (India) Ltd. the 80% staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi.

[No. E-12011/10/94-Hindi]
KUMAR BHATIA, Chief Engineer.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1994

का.आ. 2297 डब्लिन यूनिवर्सिटी, आयरलैण्ड गणराज्य द्वारा प्रदान की गई एम.बी.बी.सी.एच. की आयुर्विज्ञान अर्हता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन के लिए एक मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है ।

और डा. आर.सी. रिग्ग, एक ब्रिटिश राष्ट्रिक जिनके पास उक्त अर्हता है इस समय पूर्व कार्य के लिए पी.डी. हिन्दूजा राष्ट्रीय अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई से संलग्न है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के उपबन्धों के खण्ड (ग) के अनुसरण में उस अवधि को जिसके दौरान डा. आर.सी. रिग्ग पी डी. हिन्दूजा राष्ट्रीय अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई से एक वर्ष या उसके कर्तव्यभार की अवधि के लिए, इन दोनों में से जो भी कम हो, संलग्न रही है, ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तक उक्त डाक्टर की चिकित्सा प्रैक्टिस सीमित होगी ।

[संख्या बी-11016/5/94-एम.ई.(यू.जी.)]
एस के मिश्रा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th August, 1994

ORDER

S.O. 2297.—Whereas medical qualification MBBS, granted by University of Dublin, Republic of Ireland is a recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).

And whereas Dr. R C. Rigg, a British national who possesses the said qualification is at present attached to P. D. Hinduja National Hospital and Medical Research Centre, Bombay for charitable work.

Now, therefore, in pursuance of Clause (c) of the provisions of sub-section 1 of Section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies the period during which Dr. R. C. Rigg is attached to P. D. Hinduja National Hospital and Medical Research Centre, Bombay as one year or for the duration of her assignment whichever is shorter, as the period for which the medical practice of the said doctor shall be limited.

[No. V-11016/5/94-ME (UG)]
S. K. MISHRA, Desk Officer

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1994

का.आ. 2298 —केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसमें 80% कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, जगदलपुर–494001 (म.प्र.)
2. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, अनुसंधान प्रसार केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, गुमला–835207 (बिहार)।
3. केन्द्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, बुनियादी बीज गुणन एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पाली–495449, जिला बिलासपुर (म.प्र.)।
4. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, सं. 708, सेक्टर 11, पंचकुला (हरियाणा)।
5. केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान प्रसार केन्द्र, सुजानपुर–145023, जिला गुरदासपुर (पंजाब)।

2. दिनांक 12-5-1994 को समसंख्यक अधिसूचना में प्रकाशित "4. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, रेशम कोट बीज उत्पादन केन्द्र, 767–बी.टी.सी. स्कीम, रानी रोड, उदयपुर–313001 (राजस्थान)" के स्थान पर "4. पी 2 फार्म सह बीजागार, राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, फतहनगर–313205 (राजस्थान)" पढ़ा जाए।

[सं. ई–11016/2/94-हिन्दी]

चरन दास उप सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 10th August, 1994

S.O. 2298.—In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rule 1976 the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Textiles more than 80 per cent staff have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Regional Tasar Research Station, Central Silk Board, Jagdalpur-494001 (M.P.).
2. Regional Sericulture Research Station, Research Extension Station, Central Silk Board, Gumala-835207 (Bihar).
3. Central Tasar Research and Training Institute, Basic Seed Multiplication and Training Institute, Central Silk Board, Pali-495449, Distt. Bilaspur (M. P.).
4. National Sericulture Project, Central Silk Board, No. 708, Sector 11, Panchkula (Haryana).
5. Central Sericluture Research and Training Institute, Research Extension Station, Sujanpur-145023, Distt. Gurdaspur (Punjab).

2. "4. National Sericulture Project, Silk Warm Seed Production Centre, 767, B.T.C. Scheme, Rani Road, Udaipur-313001 (Raj.) published in the Notification of even umber dated 12-5-1994 may be read as "4. P 2 Farm-cum-Grainage, National Sericulture Project, Central Silk Board, Fatehnagar-313205 (Rajasthan).

[No. E-11016/2/94-Hindi]

CHARAN DASS, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1994

का.आ. 2299.—दिल्ली विकास (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जोन "ई" (यमुना पार क्षेत्र) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, मुख्य विकास मीनार में आने पैरा 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में एतद्द्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली-23 को सन् 1994 के दिसम्बर महीने की 9 तारीख से पहले भेजे।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[फाइल संख्या एफ 1(21) 92 जैड० पी०]

विजय मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st September, 1994

S.O. 2299.—Notice under section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959 of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

(a) A draft of a Zonal Development Plan for Zone 'E' (Trans Yamuna Area) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.

(b) A copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority, on Ground Floor, Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi, between hours of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para '3' hereinafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-Cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi-23, before the 9th day of December, 1994.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address

[No. F. 1(21)/92-ZP]

V. M. BANSAL, Commissioner-Cum-Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1994

का.आ. 2300 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दक्षिण रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-8-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/110/89-आई आर (डी०यू०)/बी-I]

वी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd August, 1994

S.O. 2300.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Southern Railways and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-8-94.

[No. L-41012/110/89-IR(DU)/B. I]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated, the 30th July, 1994

PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L.,

CENTRAL REFERENCE NO. 44/90

I Party

Sri G. Govindappa
S/o Gopallappa,
Addiganahalli,
Singanaya Kanahalli Post,
Bangalore Cantonment,
Pin : 560 001

(By Sri C. S. Sathyanarayana, Advocate)

V/s.

II Party

The Chief Engineer,
Southern Railway (Const.),
Bangalore North Taluk,
Bangalore-560 001

(By Sri J. Nagaraj, Advocate)

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its order No. L. 41012/110/89-IR(DU) Dated 27-7-90 under Section 10(2A)(1)(d) of I.D. Act the point for adjudication as per schedule to reference is :—

"Whether the management of Southern Railway is justified in dismissing Sri G. Govindanna, Casual Labour Khalasi from service w.e.f 23-9-85? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. The charge against I party workman is :—

The I party workman was on night duty on the night of 30/31-8-85 at Doddaballapur. When he was on night duty he intentionally opened the locks of cement shed at Doddaballapur and committed the of 10 bags of cement for the use of construction of the house of his brother-in-law.

3. In the claim statement it is contended :—

The I party workman was night watchman on 30/31-8-85 in the Doddaballapur depot unit. On 30/31-8-85 at about 2.00 a.m. Head Clerk/Stores, came with four unknown men, since they are not Railway workers and he ordered to open the cement shed and I party workman obeyed his orders. Hence, the workman opened the lock of Shed No. 6. Thereafter he told the four strangers to take 10 bags of cement. Accordingly 4 strangers took 10 bags of cement from the cement shed and they loaded into the bullock cart and took away immediately. The work-

man locked the key. In the next day on 31-8-85 the workman handed over the key to the Head Clerk-Stores|Yelahanka.

On 3-9-85 the cement shed was checked. It was found that 10 bags of cement was short. The Head Clerk|Stores then told the I party that he (Head Clerk) was in danger and asked the I party to help him. The Head Clerk|Stores told I party workman that if he gave in writing that he had committed theft of 10 bags of cement, nothing would happen and that only the cost of cement would be recovered. The Head Clerk assured the I party that the cost recovery from him would be paid by him (head clerk) to the I party. So under these circumstances he gave a letter dated 4-9-85 to the head clerk, though the head clerk had taken 10 bags of cement for his own use.

Then on the basis of the letter dated 4-9-85 given by the I party a departmental enquiry was held. The Asst. Engineer was the enquiry officer. The enquiry held was improper. The I party was not given any opportunity to defend his case. The E.O. obtained the signatures of the I party on blank papers. The charge sheet was not read over to him. The I party was not given opportunity to cross-examine the management witnesses etc.

The I party was dismissed from service w.e.f. 23-9-85. The I party had not committed any misconduct. The letter dated 4-9-85 was given under the circumstances stated above at the instance of the head clerk. The I party had no intention to confess. It was obtained fraudulently as stated above. The dismissal of I party is not justified. The action of the II party in dismissing the I party cannot be sustained on facts and in law. The I party is entitled to be reinstated with continuity of service and back wages.

4. In the counter statement it is contended :—

On 30-8-85 the day watchman was Obalesh and night watchman was the I party workman. The Dy. Financial Advisor, and Chief Accounts Officer, Constructions, Bangalore and the Dy. Chief Engineer, Construction, Bangalore made a surprise visit and checked the store-shed at Doddaballapur on 3-9-1985 and it was found that as against the book balance of 170 bags of cement, only 160 bags were available. whereas the stock was physically counted before being handedover|taken over by the respective officials.

Between 30-8-85 and 3-9-85, no issue of cement was made. On enquiry by Sri Katharki, Head Clerk. Stores, Yalahanka on 3-9-85, Sri Obaleshu who was on day duty on 31-8-85 stated that the stores shed was opened on the night of 30|31-8-85 by Sri G. Govindappa at about 0.2 hours. When questioned about the incident Sri Govindappa admitted that he had opened the cement shed and had removed 10 bags of cement for the use of construction of his brother-in-law's house. He has given letters admitting his guilt. The I party has admitted his guilt by giving a confession letter in his own handwriting which was witnessed by the Station Superintendant, Doddaballapur. The enquiry held against the I party is proper and valid. The I party was given full opportunity to defend himself. The order of dismissal is proper. The reference has to be rejected.

5. On 3-4-91 this Tribunal has framed a preliminary issue whether the II party proves that it has held the D.E. in accordance with law ?

6. After recording evidence, by a separate considered order dt. 9-11-93 this Tribunal has set aside the D.E. Tribunal has given the II party an opportunity to justify its action.

7. After II party was given opportunity to justify its action, the II party has examined on its behalf M.Ws. 1 to 4. The I party workman W.W1 was further examined and cross-examined.

8. The Learned counsel for the II party argued at length, while arguing on merits, that the D.E. held was proper. This argument cannot be given any weight because this Tribunal has recorded after recording the evidence that the D.E. held against the I party workman cannot be sustained.

9. M.W. 1 Srinath is the Executive Engineer who conducted the D.E. against I party. He has been examined subsequent to setting aside the D.E. by a considered order. So the evidence of M.W. 1 does not help the II party in seeing whether the II party is justified in dismissing the I party.

10. I will look to the other evidence to find out whether the II party has proved the charge of theft against the I party.

11. Ex. M. 1 is the attested xerox copy of the complaint against the I party given by the day watchman Obalesh (M.W. 4). Ex. M. 1 has been attested by the E.O. himself. Ex. M. 2 is the attested xerox copy of the alleged confession letter given by the I party workman. Ex. M. 4 is the attested xerox copy of the charge sheet (memorandum) issued to I party workman. Ex. M. 5 is the attested xerox copy of the reply given by the I party to the charge sheet Ex. M. 4.

12. The Learned Counsel for the I party objected to the marking of the attested xerox copies. The attested xerox copies were marked subject to objections. Though the reference was registered in 1990, the II party has not produced the originals. In the absence of originals it is not proper for the Tribunal to rely on the attested xerox copies, bearing in mind that the I party has denied having committed theft of cement bags.

13. There is another reason why the xerox copy of the complaint Ex. M. 1 cannot be considered by this Tribunal. Ex. M. 1 is in Telugu. But I party does not know Telugu. He knows only Kannada.

14. M.W. 2 Katharki was the then Store Keeper. He has stated in his evidence that 10 bags of cement was committed theft of on 30|31-8-95. He has stated that the I party's duty hours were from 6-00 p.m. to 6-00 a.m. He has stated that Obalesh (M.W. 4) was the watchman during day time on 30-8-85 from 6-00 a.m. to 6-00 p.m. He has further stated that on 3-9-85 the Executive Engineer, himself (M.W. 2),

Dy. Chief Engineer and Accounts Officer made a surprise check of the cement shed at Doddaballapur and found shortage of 10 bags of cement.

15. M.W. 2 Katharki has further stated that he enquired the day watchman Obalesh (M.W. 4) about the shortfall and Obalesh told him (M.W. 2) that day before yesterday the shed was open during night and that he (M.W. 4) enquired the I party and I party told him to go and sleep and mind his (M.W. 4's) business. M.W. 2 has stated that he took the report as per original of Ex. M. 1 from Obalesh.

16. I have already stated that original of the statement of Obalesh has not been produced and Ex. M. 1 is the attested zerox copy which is in Telugu. But M.W. 4 Obalesh has stated before this Tribunal that he did not give any report to M.W. 2 and that he does not know who wrote the original of Ex. M. 1 and that he does not know anything about the theft. So the evidence of M.W. 2 regarding the complaint against the I party by M.W. 4 Obalesh falls to the ground.

17. If the complaint against I party falls to the ground, the incident alleged against the I party workman also goes by the board.

18. M.W. 2 Khatharki has stated in his evidence that he enquired I party on 4-9-85 and I party admitted the guilt and gave confession letter as per original of Ex. M. 2. The I party workman has denied giving any confession letter. In the absence of the original confession letter, the zerox copy Ex. M. 2 cannot be given any weight. The alleged confession made by the I party is thus not proved.

19. The evidence of M.W. 4 Obalesh knocks the bottom out of the II party's case. He has deposed that he gave report against the I party because M.W. 2 told him "to give him a report that the I party had opened the door at night".

20. It bears repetition. According to M.W. 2 Katharki, day watchman M.W. 4 Obalesh told him that I party workman had committed theft of the cement and Obalesh gave the complaint against I party workman. But M.W. 4 has stated that he does not know anything about the theft and that he did not give any report to M.W. 2.

21. M.W. 3 Christopher is the person who was working as station master at Doddaballapur on 4-9-85. He has stated that M.W. 2 Katharki came to him and told him that there was a theft in the stores and that he wants to obtain a statement from I party and that he (M.W. 3) should be present. M.W. 3 has stated that M.W. 2 brought the I party and I party wrote the confession statement as per the original of Ex. M. 2. In cross-examination it is suggested that M.W. 2 did not take I party before M.W. 3 and I party did not give any confession statement and that Ex. M. 2 is got up.

22. Original of the confession statement made by the I party is not placed before the Tribunal. In the absence of the original it is not safe to rely on the attested zerox copy Ex. M. 2.

23. For the aforesaid reasons I hold that the II party has not established the charge against the I party workman.

ORDER

The order passed by the II party dismissing I party workman w.e.f. 23-9-85 is set aside. The II party is directed to reinstate the I party workman with continuity of service. The II party shall pay the I party workman 25 per cent of the back wages. Reference accepted as stated herein. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 30th day of July, 1994).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1994

का.आ. 2301—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार वैश्य बैंक लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-8-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/13/90-आई.आर.बी.आई]

वी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd August, 1994

S.O. 2301.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Vysya Bank Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-8-94.

[No. L-12012|13|90-IR B. I]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT. BANGALORE

Dated this the 30th day of July, 1994

PRESENT :

Sri M. B. Vishwanath, Bsc., B.L., Presiding Officer

Central Reference No. 30|91

I Party	v|s	II Party
The General Secy., All India Vysya Bank Employees' Union, No. 351|4, 8th Cross, Wilson Garden, Bangalore-560027.		The General Manager, Vysya Bank Ltd., No. 72, St. Marks Road, Bangalore-560001.
(By Sri V. Gopala Gouda Advocate)		(By Sri B. C. Prabhakar, Advocate)

AWARD

This dispute was pending before the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Vishakapatnam on a reference made by the Hon'ble Ministry of Labour by its order No. L-12012|13|90-IR. Bank-I dated 10-4-90 under Sec. 10(2A)(1)(d) of I.D. Act.

2. The Hon'ble Ministry has withdrawn the reference from the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Vishakapatnam and transferred the dispute to this Tribunal by its order No. L-12012|13|90 IR.B. I|B.III Dt. 31-5-91.

3. As per schedule to reference the point for adjudication is :—

> "Whether the action of the management of M|s. Vysya Bank Ltd., Bangalore in terminating the services of Smt. M. Neeraja, Clerk-cum-Typist, Gajuwaka Branch, Visakapatnam without assigning any reason is justified ? If not to what relief the workman is entitled to ?"

4. In the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Visakhapatnam, the claim statement and counter statement were filed. Even so, after transfer, the I party filed a fresh claim statement before this Tribunal. By consent of both counsel, as could be seen from the order sheet dt. 19-10-93 this claim statement has been taken on file. After the claim statement was filed in this Tribunal, the II party has filed additioal counter statement. In the additional counter statement it is stated that the counter statement already filed at Visakapatnam be read as part and parcel of the additional counter statement.

5. In the claim statement it is contended by the I party :—

I party is a B.A., graduate, high second class. She has passed Lower Grade Typewriting in English. She has passed Post Graduate Diploma in Marketing Management in Andhra University. As per advertisement of the II party, the I party applied for the post of clerk-cum-typist and appeared for the written examination conducted by the II party. She passed the written examination. She was interviewed by the II party. Later she underwent training at the Bank's Training College at Hyderabad. On the conclusion of the training the II party conducted a test. The I party passed this test.

6. The I party workman was appointed by the II party on probation as a clerk-cum-typist. The I party serving the II party satisfactorily. Her probationery period was completed on 9-12-88. But she was not confirmed in the said post. Instead the II party terminated the services w.e.f. 9-12-88 without assigning any reasons. The termination is illegal. Alongwith the order of termination the II party had enclosed a cheque for Rs. 1,365.90. The I party has encashed this cheque without prejudice to her rights to challenge the order of termination. The termination is opposed to Sastry Award. The termination of the services of I party is a clear case of victimisation and unfair labour practice. The termination amounts to retrenchment and the conditions precedent to retrenchment have not been complied with. The I party workman has to be reinstated with continuity of service and full backwages.

7. In the counter statement filed in Vishakapatnam and the additional counter statement filed in this Tribunal it is contended :—

The I party was appointed on probation as a clerk-cum-typist. The probationery period was for 6 months from the date of reporting for duty. It is not true that the work of I party was satisfactory The I party failed to come up to the expected standards. Her handwriting was not legible. She showed no interest in the work. Her overall performance was below the normal working standards. Since her work was not satisfactory, her services were terminated. The said termination does not amount to any stigma. The termination is legal and proper. There was no reason for the I party to receive the order of termination under protest. She did not satisfactorily complete her probation. So her services were terminated. The I party having encashed the D.D. sent by the II party to her towards notice pay, has no right to challenge the order of termination. The provisions of Sastry Award have no application. It is not true that there is victimisation or unfair labour practice. The action of the II party does not amount to retrenchment. The action of the II party is a simple case of termination since I party did not complete probationery period successfully. No stigma is attached to the order of termination. The order passed by the II party is perfectly legal.

8. As could be seen from the order sheet dated 10-7-91 it is stated that the point for determination is covered by the schedule to reference and no separate issues are required. At the time of final arguments I have been hearing arguments on the subsidiary points also.

9. On behalf of the II party management MW 1 Anil Kumar, Deputy Manager of II party has been examined. On behalf of the I party she has got herself examined and closed her case.

10. Ex. M1 is the order appointing the I party workman as clerk-cum-typist on probation for a period of 6 months. It is stated in Ex. M1 that the probation period could be extended by 3 months at the discretion of the Bank. In cross-examination I party workman has admitted that Ex. M26 series which are 19 demand drafts, 1 voucher, 4 pay orders have been written by her. Ex. M26 series, without more, speak volumes for the efficiency or otherwise of the I party workman. Her handwriting was not satisfactory to write D.Ds. vouchers and pay orders. A look at these 25 documents (Ex. M26 series) reveals that the work of the I party workman could not be said to be satisfactory by any stretch of language. There is substance in the arguments advanced on behalf of the II party that the work of I party was not satisfactory. I hold that the action of the management in terminating the services of the I party workman was justified.

11. Since what the II party has done is a discharge simplicitor according to terms of appointment Ex. M1, I am of opinion, II party was not required to give reasons.

12. The Learned counsel for the II party relied on the latest decision of the Supreme Court reported in 1994 (1) LLJ 597 (M. Venugopal v|s. LIC of India, A.P. and Anr.) to impress upon me that once the probationer is discharged, he cannot be reinstated and the Tribunal has no power under Sec. 11-A of the I.D. Act. I have carefully and respectfully gone through this decision of the Supreme Court. That was a case in which an LIC's Development Officer's services were terminated under regulation 4 of the LIC of India (Staff) Regulations 1960 read with order of appointment before the expiry of extended period of probation on account of unsatisfactory service. It was held by the Hon'ble Supreme Court that the order of appointment read with Regulation 14 attracts Sec. 2(oo) (bb) of the I.D. Act and termination is not retrenchment even if the I.D. Act is applied to the LIC Employee who was a development officer. It was held that the regulations relating to terms and conditions of service have over-riding effect over the provisions contained in the I.D. Act. It is clear from the Judgment that the order of appointment had fixed a target in respect of the performance of the development officer which admittedly the appellant failed to achieve within the period of probation which was extended upto 2 years. So the Hon'ble Supreme Court was pleased to hold that regulation 14 aforesaid has to be read as a statutory term of contract of employment between LIC and the Development Officer who was on probation.

13. That is not the position here. The authority of the Supreme Court has been rendered while setting aside the order of the High Court made on the writ side. The appellant|Development Officer had directly filed a writ petition before the High Court and the High Court was pleased to hold that the Development Officer was a workman within the meaning of the I.D. Act and the termination of his service amounts to retrenchment within the meaning of Sec. 2(oo) of the I.D. Act and the termination order was set aside because provisions of Sec. 25-F of the I.D. Act were not complied with. In the writ appeal the decision of the Learned Single Judge was set aside (See paras 4 and 5 of the Judgment). The Appellant|Development Officer then approached the Hon'ble Supreme Court. From the facts it is clear that the matter did not arise out of any reference under Sec. 10(1) (d) of the I.D. Act. As I have already stated the Supreme Court was pleased to hold that the regulation 14 r|w. the order of appoinment amounts to contract of employment.

14. That is not the position in the present reference with which the Tribunal is concerned. The I party was appointed on probation and there was no statutory regulation fixing the period of probation as 6 months. The probationery period of 6 months was fixed in the order of appointment itself and there was no regulation contemplating that a particular period of probation should be fixed. Their Lordships of the Supreme Court were pleased to hold that the termination of the services of the appellant was as a result of contract of employment having been terminated under the stipulations specifically provided under regulation 14 and the order of appointment of the appellant. That is not the position in the present case. The order of appointment Ex. M1 provides for extention of the period of probation by 3 months, but the II party has terminated the services of I party immediately after the period of 6 months probation period was over. They have not extended the period of probation by 3 months as contemplated under the appointment order Ex. M1.

15. I am of opinion that the Law laid down by the Hon'ble Supreme Court in 1994 (1) LLJ 597 is not applicable to the facts of this case and the power of this Tribunal under Sec. 11-A of the I.D. Act to go into the question whether the discharge or dismissal of I party was not justified is not taken away.

16. It is argued by the Learned Counsel for the II party that the discharge in this case is a punitive discharge and so this Tribunal cannot exercise the power under Sec. 11-A of the I.D. Act. If this argument is to be accepted, the II party will be hoist with its own petart. If it is a punuitive discharge, a stigma will be attached to the I party workman. It has been laid down in 1993 (1) LLR 291 (Governing Council of Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore v|s. Dr. Pandurang Gadwalkar and another) that "in such a case a plea cannot be taken that as his service was temporary or his appointment was on probation, there was no requirement of holding any enquiry, affording such an employee an opportunity to show that the charge levelled against him was either not true or it was without any basis." In the instant

case I hold that the termination order was a discharge simplicitor because the overall performance was not satisfactory.

17. The Learned Counsel for the II party relied on a number of authorities to pursuade me to hold that the power of this Tribunal under Sec. 11-A comes to an end, once the services of the probationer are terminated. In none of the authorities relied by the Learned Counsel has it been laid down that the power of the Tribunal under Sec. 11-A is taken away. In fact in none of the authorities relied on by the Learned Counsel for the II party Sec. 11-A of the I.D. Act has been dealt with or interpreted. For the aforesaid reasons, I repeat, the power of this Tribunal under Section. 11-A of the I.D. Act is not taken away.

18. MW1 Anil Kumar, Deputy Manager of II party has stated in his evidence that I party workman is a graduate and she has passed typewriting and she is a diploma holder in Marketing Management. The I party workman has stated this in her evidence which has been admitted by MW1. She has further stated that she has passed higher typewriting in English and Telugu. She has stated that her husband has divorced her. Ex. W2 shows that I party has been divorced by her husband. She has stated that she has not a son who is in UKG. Her father is a pensioner. Her father is feeding her and her son. She has stated that her mother and her younger sister are also living with her father and her unmarried sister is physically handicapped. The above circumstances clearly show that the I party workman is in an unenviable position. It is firmly established that the Industrial Law leans in favour of the weaker section. workman.

19. While holding that the work of the I party workman was unsatisfactory and the discharge was proper I have adverted to the seamy side of her personality so far as her work performance was concerned. Apart from the unfortunate circumstances of the I party workman, the I party has a sunny side in her personality. The confidential reports Exs. M.5 to M13 clearly show that the I party workman in her conduct was polite towards customers, curtious to the officers and good to the fellow workers.

20. There is another important facet in this case. The appointment order Ex. M1 says that the I party workman was on probation for a period of 6 months. Ex. M1 says that it can be extended by another 3 months at the discretion of the bank. The Bank has terminated the services of the I party immediately after the 6 months period of probation was over. The Bank could have extended the period of probation by another 3 months. I party workman, mind you, was selected after she passed the written examination conducted by the II party and after she was interviewed by the II party. Furthermore the I party has undergone training at the Bank's Training College at Hyderabad and it was only after conclusion of the training the II party conducted a test and the I party passed the test and then only II party appointed the I party workman. This reinforces my conclusion that the II party could have extended the period of probation of I party by another 3 months.

21. The II party appears to have made the I party workman to do work in which she was not up to the mark. The II party could have given some other work in the bank where handwriting was not very important.

22. For the aforesaid reason I am of opinion that the order of termination of the services of I party is harsh and disproportionate. The I party workman should be given another opportunity to improve herself.

23. All other documents and evidence not referred to by me above are not relevant. In any case they do not alter my conclusions reached above.

24. The Learned counsel for the II party relied on some authorities. 1981 (1) LLJ 485 (Union of India and others v|s. P. S. Bhatt). This decision has been rendered under Article 311 of the Constitution and deals with the reversion of an employee where misconduct, negligence or inefficiency is involved. In 1991 Lab. I.C. 1266 (Municipal Corporation, Raipur v|s. Ashok Kumar Misra) the point for decision was where there was automatic deemed confirmation after the expiry of the period of probation. In 1985 (1) LLN 770 (Dhanjibhai Ramjibhai v|s. State of Gujarat) the law laid down by the Supreme Court is that if the order of termination does not contain any stigma or refer to any charge of mis-conduct on the part of the employee, there is no obligation that the employee should be heard before termination of services. This law has been laid down under Article 136 of the Constitution. This is also the law laid down in 1993 (1) LLR 153 (Unit Trust of India and others v|s T Bijaykumar and another). In 1980 (2) LLJ 155 (Oil and Natural Gas Commission v|s. Dr. Md. S. Iskander Ali) the fact were that during the extended period of probation, the Medical Officer was proceeded against departmentally. Afterwards the enquiry was abandoned and services terminated in terms of appointment order. The point for consideration was whether it is termination simplicitor. Moreover, this authority has been rendered under Article 311 of the constitution. Provisions of the I.D. Act have not been interpreted. The Learned Counsel relied on the decision of our Hon'ble High Court in 1985 Lab. IC. 1833 (C. M. Jitendra Kumar v|s. The Management of Bharath Earth Movers Ltd

and another). The law laid down by our Hon'ble High Court in this case is that there is no compulsion in law that a probationer should be retained till the last date of the period of probation even if non-fulfilment of conditions of probation is established. The probationer could be discharged even prior to the expire of probation period in terms of the contract of employment.

25. In my humble opinion none of these authorities are applicable to the facts of the present case. To repeat myself, in none of these authorities has it been laid down that if a probationer is discharged, the Tribunal has no power to act under Sec.11-A of the I.D. Act.

ORDER

The order of termination of the services of I party as per Ex. M14 is set aside. The II party is directed to reinstate I party with continuity of service. The I party workman is granted 50 per cent backwages. After reinstatement the I party shall be on probation for a period of 9 months from the date of her joining, during which period the employer shall be entitled to ascertain her suitability. Award passed as stated herein accepting the reference. Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 30th day of July 1994).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994